

# जमा बीमा निगम

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित



प्रत्येक जमाकर्ता को प्रत्येक बीमाकृत बैंक में रहनेवाली 10,000 रुपयों तक की उसकी जमा-राशियों के भुगतान की गारंटी दी जाती है।

## आठवीं वार्षिक रिपोर्ट

31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
जमा बीमा निगम की रिपोर्ट, तुलनापत्र और लेखे।

जमा बीमा निगम, बम्बई

की ओर से सादर भेंट

# जमा बीमा निगम

## निदेशक बोर्ड

### अध्यक्ष

श्री लक्ष्मी कान्त झा  
गवर्नर, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया,  
बंबई ।

### निदेशक

श्री बी. एन. अडारकर  
उप-गवर्नर, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया,  
बंबई ।

श्री डी. एन. घोष  
निदेशक, बैंकिंग विभाग,  
वित्त मन्त्रालय,  
भारत सरकार ।

श्री पी. के. घोष

श्री वी. एच. बोरा

### कार्यकारी निदेशक

श्री आर. के. शेषाद्रि

### मनेजर

श्री एम. जे. अम्बानी

### बंकर

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया

### लेखापाल

मेसर्स के. एस. अय्यर एण्ड कं.  
सनदी लेखापाल  
49, अपोलो स्ट्रीट,  
बंबई-1

### रजिस्टर्ड कार्यालय

विद्युत भवन,  
पाठकवाड़ी, जी. टी. अस्पताल के सामने,  
पोस्ट बॉक्स संख्या 2810,  
बंबई-2

## प्रेषण - पत्र

जमा बीमा निगम

विद्युत भवन  
पाठकवाड़ी, जी. टी. अस्पताल के सामने,  
पोस्ट बॉग संख्या 2810,  
बंबई-2

367/डी आई सी. 50बी-70

31 मार्च, 1970

10 चैत्र, 1892 (शक)

सचिव,  
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया,  
केन्द्रीय कार्यालय,  
बम्बई 1

प्रिय महोदय,

जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबन्धों के अनुसार निदेशक बोर्ड की ओर से इस पत्र के साथ मुझे निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने का निदेश हुआ है :—

- (1) 31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र और लेखे और उनके साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ;

और

- (2) 1969 के वर्ष के लिए निगम के कार्यचालन के बारे में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।

भवदीय

एम. जे. अम्बानी  
मैनेजर



### 31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जमा बीमा निगम के कार्यचालन की रिपोर्ट

निदेशक बोर्ड जमा बीमा निगम (ज. बी. निगम) अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) की शर्तों के अनुसार, इसके द्वारा 31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ज. बी. निगम के कार्यचालन की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

2. वर्ष 1969 के आरंभ में निगम द्वारा रजिस्टर किए गए बीमाकृत बैंकों की संख्या 88 थी। इस वर्ष के दौरान अन्य बीमाकृत बैंकों में समामेलन अथवा आस्तियों और देयताओं का हस्तान्तरण किए जाने के परिणामस्वरूप 3 बीमाकृत बैंकों की रजिस्ट्री ज. बी. निगम अधिनियम, 1961 की धारा 13 के अधीन रद्द कर दी गयी। जिन बैंकों की बीमाकृत बैंक रजिस्ट्री वर्ष के दौरान रद्द करनी पड़ी उनका विवरण नीचे दिया गया है :—

बीमाकृत बैंक का नाम	रजिस्ट्री रद्द करने का कारण	रजिस्ट्री रद्द किए जाने की तारीख	रजिस्ट्री रद्द किए जाने की तारीख को निर्धारणीय जमा-राशियाँ (रुपये लाखों में)	हस्तान्तरी बैंक का नाम
1. चावला बैंक लि.	समामेलन	23-6-1969	3.46	न्यू बैंक ऑफ इंडिया लि.
2. बैंक ऑफ कारैकुडि लि.	देयताओं और तुल्य आस्तियों का अंतरण	31-10-1969	88.43	बैंक ऑफ मद्रास लि.
3. बैंक ऑफ विहार लि.	समामेलन	8-11-1969	1556.27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

इस प्रकार वर्ष के अंत में निगम में दर्ज बीमाकृत बैंकों की संख्या 85 थी (देखिए परिशिष्ट I)।

3. जनवरी, 1962 में निगम की स्थापना से अब तक कुल 204 बैंकों की रजिस्ट्री रद्द की जा चुकी है। इससे केवल 13 मामलों में ही निगम के ऊपर दायित्व आया है। चूंकि शेष 191 बैंकों के विषय में या तो जमाकर्ताओं की समस्त देयताएँ अन्य बैंकों को अंतरित कर दी गईं या उनकी पूर्ति उक्त बैंकों द्वारा स्वयं कर दी गईं अतः निगम को इनके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

4. बीमाकृत बैंकों की संख्या में वर्षानुवर्ष हुई कमी नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है।

वर्ष	वर्ष के आरंभ में रजिस्ट्रीकृत बैंकों की संख्या	कितने बैंकों की रजिस्ट्री रद्द की गयी			वर्ष के अंत में रजिस्ट्रीकृत बैंकों की संख्या
		जोड़	ऐसे मामले जिनमें निगम पर दायित्व		
			आया है	नहीं आया है	
1	2	3	4	5	6
1962	287	11	2	9	276
1963	276	26	1	25	250
1964	250	94	6	88	157@
1965	157	48	—	48	109
1966	109	10	2	8	100@
1967	100	9	—	9	91
1968	91	3	—	3	88
1969	88	3	2	1	85
		204	13	191	

@ उस एक बैंक का हिसाब लगाने के बाद जिसने वर्ष के दौरान कार्य करना शुरू किया था।

5. 204 बैंकों की रजिस्ट्री को रद्द किए जाने के समय उन सबकी निर्धारणीय जमा-राशियाँ कुल मिलाकर 71.29 करोड़ रुपये थीं। उनमें से उन 13 बैंकों की कुल निर्धारणीय राशियाँ 21.13 करोड़ रुपये थीं जिनके मामलों में निगम पर दायित्व आया है। 12 बैंकों के मामलों में निगम की देयता का हिसाब 57.03 लाख रुपये निकलता है जब कि एक बैंक के लिए उसके दायित्व का निर्धारण इस वर्ष के अंत तक नहीं हो पाया है।

6. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1969 (जिसके स्थान पर इस बीच अध्यादेश जारी कर दिया गया है) के उपबन्धों के अधीन वर्तमान बैंकों से मिलते जुलते 14 विधिक निगमों की स्थापना की गई और 19 जुलाई, 1969 से उनके उपक्रमों तथा कारोबार का अर्जन उक्त अधिनियम के अधीन कर लिया गया। चूंकि बैंकों का अधिनियम में तदनुसूची नए बैंकों को बीमाकृत बैंकों की हैसियत से जारी रखने का उपबंध है, ज. बी. निगम राष्ट्रीयकरण की धारा 14 के अधीन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1962 में भेजी गई रजिस्ट्री की सूचनाएं वापस मंगा ली गईं और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम की धारा 20 के अनुसरण में उन में तदनुसूची नए बैंकों के नाम लिखने के उपरान्त उन्हें संबंधित बैंकों को लौटा दिया गया। परिशिष्ट I में तदनुसूची नए बैंकों के नाम तारांकित करके दर्शाए गए हैं।

7. इस समय जो जमा बीमा योजना लागू है वह अधिनियम की धारा 2 (छ) के अनुसार विदेशी सरकारों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या वारिण्य बैंक की जमा-राशियों पर लागू नहीं होती। इसलिए निगम द्वारा उक्त श्रेणियों की जमा-राशियों का बीमा नहीं किया जाता और ये राशियाँ बीमाकृत बैंकों द्वारा दी जानेवाली बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय नहीं हैं। फिर भी, स्वायत्त अथवा विधिक निकाय, अर्ध-सरकारी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी उपक्रम और निगम आदि की जमा-राशियों का बीमा किया जाता है और तदनुसार वे बीमा-किस्त के लिए भी निर्धारणीय होती हैं।

8. 1961 से 1969 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में बैंकों के पास की बीमा न की जा सकनेवाली जमा-राशियों की सूचना नीचे की सारणी में दी गई है :

(रुपये करोड़ों में)

दिसंबर के अंतिम शुक्रवार को	विदेशी, केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त जमा-राशियाँ	वारिण्य बैंकों से प्राप्त जमा-राशियाँ	बीमा न की जानेवाली जमा-राशियों का जोड़ (2+3)	बीमा की जानेवाली जमा-राशियाँ	कुल जमा	(6) से (4) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1961	207.55	92.30	299.85	1693.75	1993.60	15.0
1962	193.81	64.98	258.79	1899.17	2157.96	12.0
1963	163.48	68.84	232.32	2159.51	2391.83	9.7
1964	122.78	72.84	195.62	2471.51	2667.13	7.3
1965	101.60	106.99	208.59	2860.77	3069.36	6.8
1966	88.07	137.94	226.01	3369.48	3595.49	6.3
1967	103.47	125.69	229.16	3745.59	3974.75	5.8
1968	119.32	129.09	248.41	4203.78	4452.19	5.6
1969	133.89	118.95	252.84	4859.60	5112.44	4.9

इससे यह पता लगता है कि बीमाकृत बैंकों की कुल जमा का बीमा न की जा सकनेवाली राशि से जो प्रतिशत है, उस में निरंतर गिरावट आई है और वह 1961 में 15.0 से घटकर 1969 में 4.9 ही रह गया है।

9. किसी बैंक में एक सी हैसियत और अधिकार में रखी हुई जो अदत्त वकाया राशियाँ जमाकर्ता को देय होती हैं उनके संबन्ध में बीमा-रक्षा-राशि की सीमा को 1 जनवरी 1968 को बढ़ाकर रु. 5000 कर दिया गया था; बीमा की रक्षा वह आलोच्य वर्ष में ज्यों की त्यों बनी रही। बीमाकृत बैंकों की निर्धारणीय जमा-राशियों के प्रत्येक सौ राशि (कवर) और रुपये पर उनके द्वारा देय 5 पैसे वार्षिक बीमा किस्त की दर भी ज्यों की त्यों बनी रही।  
बीमा-किस्त की दर

10. कुल निर्धारणीय और बीमाकृत जमा-राशियों की मात्रा के संबंध में कुछ विवरण नीचे की सारणी में दिये गये हैं ।

(रकम करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित अन्तिम शुक्रवारों को	पूरी तरह संरक्षित खाते (वे खाते जिनके अधिशेष 1967 तक 1500 रु. से और तदुपरांत 5000 रु. से अधिक नहीं थे)	खातों की कुल संख्या	(3) से (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा-राशियाँ (सब खातों की वे राशियाँ जो 1967 तक 1500 रु. से और तदुपरांत 5000 रु. से अधिक नहीं हुईं)	बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय जमा-राशियों की कुल रकम	(6) से (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
दिसंबर 1961	55,41,625	70,58,448	78.5	392.32	1,693.75	23.1
सितंबर 1962	59,77,420	77,03,548	77.6	448.00	1,895.27	23.6
सितंबर 1963	66,52,066	85,86,932	77.5	500.16	2,106.78	23.7
सितंबर 1964	76,26,226	98,37,176	77.5	574.37	2,437.29	23.6
सितंबर 1965	88,97,805	1,15,75,916	76.9	690.62	2,743.94	25.2
सितंबर 1966	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	824.29	3,236.31	25.5
सितंबर 1967	1,18,66,532	1,55,24,841	76.4	924.91	3,603.49	26.2
सितंबर 1968	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	2,022.79	4,011.88	50.4
सितंबर 1969	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	2,374.05	4,670.08	50.8

11. उक्त विवरण से यह पता लगता है कि 1961-69 की अवधि के दौरान बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय जमा-राशियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। पहली जनवरी 1968 से प्रत्येक जमाकर्ता के लिए बीमा-रक्षा-राशि की सीमा 1500 रु. से बढ़ाकर 5000 रु. कर दिए जाने के कारण कुल निर्धारणीय जमा-राशियों से बीमाकृत जमा-राशियों का जो प्रतिशत 1967 में 26.2 था वह 1968 में तेजी से बढ़कर 50.4 हो गया। 1969 में इसमें और अधिक वृद्धि हुई और वह 50.8 हो गया। कुल जमा-खातों की संख्या से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त जमा-खातों का जो प्रतिशत 1967 में 76.4 था वह ऊपर दिये गये कारणों से बढ़कर 1968 में 90.9 हो गया था परंतु वह 1969 में थोड़ा-सा कम होकर 90.8 हो गया। पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खाते और अंशतः संरक्षण प्राप्त खाते कुल निर्धारणीय जमा-राशियों का क्रमशः 30.6% और 69.4% हैं (चार्ट III)। यद्यपि वारिण्य बैंकों की कुल जमा-राशियों में निरंतर वृद्धि हुई है तथापि वे अनुमानित राष्ट्रीय आय का केवल 15.9% ही हैं। इसके मुकाबले में जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के यही आंकड़े क्रमशः 88%, 66.2%, 49.5%, 47.7% और 36% हैं (चार्ट IV)।

12. बीमाकृत बैंकों के आकार के अनुसार, आंकड़ों का व्योरेवार विश्लेषण परिशिष्ट II में दिया गया है। सितंबर 1969 के अंत में 25 करोड़ या इससे अधिक रुपये की जमा-राशियोंवाले बैंकों के खातों की कुल संख्या से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खातों की संख्या का प्रतिशत 89.0 और अंशतः संरक्षण प्राप्त खातों की संख्या का प्रतिशत 91.3 था। इस प्रकार बड़े बैंकों की तुलना में छोटे बैंकों के खातों और उनकी पूरी तरह बीमाकृत जमा-राशियों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक निर्धारणीय जमा-राशियोंवाले बैंकों के मामलों में खातों की कुल संख्या से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खातों का अनुपात 88.9% और 93.3% के बीच रहा जबकि एक करोड़ रुपये या उससे कम निर्धारणीय जमा-राशियोंवाले बैंकों के मामलों में यही अनुपात 96.5% था। कुल निर्धारणीय जमा-राशियों से बीमाकृत जमा-राशियों के प्रतिशत के रूप में दर्शायी गयी रक्षा-राशि की सीमा 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक जमा-राशियोंवाले बैंकों के मामलों में 45.0% और 51.2% के बीच रही जब कि एक करोड़ रुपये या इससे कम जमा-राशियोंवाले बैंकों में यह सीमा बढ़कर 72.2 प्रतिशत तक पहुँच गई थी।

13. 31 दिसंबर, 1969 को कारोबार बंद होने के समय का निगम का तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा, तुलन-पत्र और इसका बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित संलग्न है। आय-व्यय लेखा

14. 1969 के दौरान निर्धारणीय जमा-राशियों की रकम में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप इस वर्ष जमा बीमा निधि में 300.98 लाख रुपये की राशि जमा हुई है। इसके मुकाबले में 1968 में 254.12 लाख रुपये की राशि जमा हुई थी। 1968 के अंत में इस निधि की जो राशि 1,113.49 लाख रुपये थी वह 1969 के जमा-बीमा निधि समाप्त होते होते बढ़ कर 1,414.47 लाख रुपये हो गई। यह निधि बीमा-किस्तों से होनेवाली कुल 1,217.63 लाख रुपये की आय और निवेशों से होनेवाली कुल 217.34 लाख रुपये की आय से मिलकर बनी है और निवेशों के मूल्य-ह्रास और बीमा-हानियों के लिए 20.50 लाख रुपये की व्यवस्था को घटाने के बाद बची है। वर्ष 1962 से लेकर जमा बीमा निधि की रकम और उनसे कुल निर्धारणीय जमा-राशियों तथा बीमाकृत जमा-राशियों के अनुपात नीचे की सारणी में दर्शाए गए हैं :

निम्नलिखित वर्षों के अंत में	निधि की रकम (रुपये लाखों में)	निर्धारणीय जमा-राशियों का प्रतिशत	बीमाकृत जमा-राशियों का प्रतिशत
1962	92.84	0.05	0.20
1963	202.70	0.10	0.40
1964	320.67	0.13	0.56
1965	466.63	0.17	0.68
1966	648.29	0.20	0.79
1967	859.37	0.24	0.91
1968	1,113.49	0.28	0.55
1969	1,414.47	0.30	0.60

15. श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के बाजार में स्थिरता बनी रही तथा 5½% वाले 1992 और 1995 के ऋणों के चालू बाजार भावों को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इन ऋणों की प्रतिभूतियों को बेचकर उनकी विक्री की रकम का पुनर्निवेश 5½% वाले 1999 के ऋण में कर दिया जाए। इस अंतरण के परिणामस्वरूप विक्री की रकम का 5½% वाले 1999 के ऋण में पुनर्निवेश किए जाने के कारण सामान्य या चालू आय की प्राप्ति में किसी कमी के बिना ही निगम 6.12 लाख रुपये का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सका। 31 दिसंबर 1969 को जमा बीमा निधि से किए गए निवेशों का बाजार भाव (1405.17 लाख रुपये) उनके लागत-मूल्य, अर्थात् 1399.02 लाख रुपये से 6.15 लाख रुपये अधिक था। परिशिष्ट III में दिया गया व्योरा देखिए। निधि में किए जानेवाले निवेशों के बाजार भाव में आनेवाली तेजी को ध्यान में रखते हुए 1969 के राजस्व में से मूल्य-ह्रास के लिए कोई और व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया। फिर भी, 31 दिसंबर 1969 को तदर्थ विद्यमान 5,50,000 रुपये की व्यवस्था पूर्ववत् रहने दी गई।


16. जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 26(1) के अधीन, निगम को रिजर्व बैंक से जमा बीमा निधि के उद्देश्य के लिए 5 करोड़ रुपये तक आवश्यकतानुसार ऋण लेने का अधिकार है। इसी अधिनियम की धारा 27 के अधीन निगम चाहे तो, जमा बीमा निधि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य निधि से रकम भी अंतरित कर सकता है; पर इस वर्ष ऐसी नौबत नहीं आई कि निगम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथवा सामान्य निधि से ऋण ले।

17. निगम का स्थापना खर्च जो पूरी तरह से सामान्य निधि द्वारा वहन किया जाता है, इस वर्ष कम होकर 3.13 लाख रुपये हो गया है जब कि 1968 में वह 3.41 लाख रुपये था। इसका प्रमुख कारण यह है कि पिछले वर्ष के खर्चों में 0.24 लाख रुपये की वह रकम भी शामिल थी जो सभी श्रेणियों के कर्मचारी-वर्ग की परि-लब्धियों के बढ़ाये जाने के कारण बकाया राशियों के भुगतान के लिए दी गई थी। इस घटे हुए खर्च में निवेशों से पिछले वर्ष हुई 4.99 लाख रुपये की आय के मुकाबले में इस वर्ष हुई 5.52 लाख रुपये की आय की वृद्धि मिला देने पर इस वर्ष 1968 के 1.58 लाख रुपये के अधिशेष की तुलना में 2.39 लाख रुपये का अधिशेष रहा।

18. सामान्य निधि के 5½% वाले 1992 और 1995 के ऋणों की निधियों को पैराग्राफ 15 में उल्लिखित कारणों से बेच दिया गया और उनके विक्री-आगम का 5½% वाले 1999 के ऋण में पुनर्निवेश किया गया। इस निवेश-अंतरण से 0.30 लाख रुपये का वास्तविक लाभ हुआ और सामान्य निधि इससे निवेशों की चालू लब्धियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष के अंत में सामान्य निधि से किए गए निवेशों की रकम लागत-मूल्य के अनुसार 114.72 लाख रुपये थी। बाजार-भाव में वृद्धि होने के कारण इन निवेशों का मूल्य-ह्रास जो 1968 के अंत में 0.39 लाख रुपये था, घटकर 0.30 लाख रुपये रह गया (परिशिष्ट III देखिए)। निधि के निवेशों के मूल्य-ह्रास के लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत निगम के पास पहले से ही 31 दिसंबर 1968 को 6.10 लाख रुपये की जो रकम थी वह ज्यों की त्यों रहने दी गई है।


चार्ट I

बीमाकृत खातों की संख्या  
(अन्तिम शुक्रवार को)



चार्ट II

अन्तिम  
शुक्रवार को  
बीमाकृत  
जमा-राशियों  
की रकम




नोट : 1-4-1970 से बीमा रक्षा राशि की सीमा को रु. 5,000 से बढ़ाकर रु. 10,000 कर दिया गया है।




बीमे की परिव्यासि

वाणिज्य बैंकों में बीमाकृत खातों की कुल संख्या (सितंबर 1969)



2,05,01,104 खाते

वाणिज्य बैंकों में निर्धारणीय जमा-राशियों की कुल रकम (सितंबर 1969)




46,70,08.30 लाख रुपये

1-4-1970 से बीमा रक्षा राशि की सीमा को रु. 5,000 से बढ़ाकर रु. 10,000 कर देने के कारण पूर्णतः संरक्षित खातों और इन खातों की जमा-राशियों में हुई वृद्धि ।

चाट IV

चुने हुए देशों की अनुमानित राष्ट्रीय आय - 1968 में जमा-राशियों का प्रतिशत (राष्ट्रीय आय = 100)



19. इस वर्ष निगम को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन क्रमशः न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया लि. और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समामेलित किए गए दो बैंकों, अर्थात् चावला बैंक लि. तथा बैंक ऑफ़ विहार लि. के मामलों में बीमाकृत जमाराशियों की अदायगी का दायित्व पूरा करना पड़ा। चावला बैंक लि. के मामले में निगम को 0.18 लाख रुपये के दावों का भुगतान करना पड़ा या उनके भुगतान की व्यवस्था करनी पड़ी। यह रकम बीमाकृत राशि और हस्तांतरी बैंक द्वारा अपने कब्जे में ली गई आसानी से उगाही जा सकनेवाली आस्तियों में से दी गई 91% की आरंभिक जमा के बीच का अंतर है।

जहाँ तक बैंक ऑफ़ विहार लि. का प्रश्न है, उसके मामले में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस निगम, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद इस आधार पर जमाकर्ताओं को पूरी रकम की अदायगी करने का प्रबन्ध किया कि निगम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को उस राशि की प्रतिपूर्ति करेगा जो संबंधित योजना के अधीन आसानी से उगाही जा सकनेवाली आस्तियों में से 91.38% की दर से अनुपातिक अदायगी कर दिए जाने के बाद शेष बची राशि और 5,000 रुपये या इस से कम की कुल वास्तविक बीमाकृत राशियों के बीच का अंतर हो। जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 की धारा 18(1) के अधीन हस्तांतरी बैंक द्वारा निगम को दी जानेवाली जमाकर्ताओं की सूची प्राप्त हो चुकी है और उसकी जाँच की जा रही है। ऐसा अनुमान है कि निगम को लगभग 60 लाख रुपये के दावों का भुगतान करना पड़ेगा परन्तु चूंकि अभी तक कुल देय रकम का ठीक-ठीक निर्धारण नहीं हो पाया है अतः स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को अभी तक कोई अदायगी नहीं की गई है।

चावला बैंक लि. के दावों के चुकाये जाने के फलस्वरूप निगम द्वारा अपनी स्थापना से इस वर्ष के अंत तक अदा किये गए या व्यवस्था किए गए दावों की कुल रकम 56.85 लाख रुपये से बढ़कर 57.03 लाख रुपये हो गई है। चूंकि आलोच्य वर्ष में कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ अतएव निगम को बैंकों से प्राप्त दावों की प्रतिपूर्ति की कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह ज्यों की त्यों अर्थात् 35.72 लाख रुपये ही बनी रही। 1969 की समाप्ति तक अदा किये गए या व्यवस्था किए गए दावों तथा बैंक ऑफ़ विहार लि. को छोड़कर 12 बैंकों के मामलों में प्राप्त कुल प्रतिपूर्ति की स्थिति परिशिष्ट IV में दर्शाई गई है। इससे यह पता चलेगा कि इन बैंकों की ओर से की गई अदायगियों के बावत निगम द्वारा जिस वास्तविक राशि की वसूली की जानी थी वह 21.31 लाख रुपये थी।

20. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस निर्णय का उल्लेख किया गया था कि शत्रु-सम्पत्ति परिरक्षक को वह राशि अदा कर दी जाए जो निगम को बैंक ऑफ़ चाइना के सरकारी परिसमापक से चीनी जमाकर्ताओं को देय दावों के संबंध में प्राप्त हुई थी पर उन्हें अदा नहीं की गई। इस निर्णय के अनुसरण में निगम ने 2.12 लाख रुपये की संबंधित राशि परिरक्षक को प्रेषित कर दी है। नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान तथा हवीव बैंक लि. में शत्रु देश के नागरिकों की जिन बीमा-कृत जमा-राशियों की अदायगी पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है उनकी अदायगी से संबंधित निगम के दायित्व का मामला अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है।

21. चुकाये गए अथवा व्यवस्था किए गए दावों के विषय में अनुमानित बीमा हानियों की स्थिति की इस वर्ष के अंत में समीक्षा की गई और इसके लिए 13.50 लाख रुपये की वर्तमान व्यवस्था को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया। बैंक बीमा-हानियों के लिए ऑफ़ विहार या किसी अन्य बैंक के बावत यदि कोई ऐसी प्रत्याशित हानियाँ हों जिनसे भविष्य में निगम पर दायित्व पड़ सकता है उनकी व्यवस्था के लिए इस रकम को और अधिक बढ़ाने के प्रश्न पर आगे चलकर ऐसी उपयुक्त स्थिति आने पर तब विचार किया जाएगा जब आवश्यक व्योरा उपलब्ध हो जाएगा।

22. जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा जमा बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 पर 27 दिसंबर 1968 को स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसे आवश्यक विधान नहीं बनाए हैं जिनसे अभी तक संबंधित राज्यों के सहकारी बैंक बीमे के हकदार हो सकें अतएव उनपर अभी उक्त अधिनियम के उपबंध लागू नहीं किए गए हैं। हाँ, महाराष्ट्र ने हाल में ही रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई नीति के अनुसार अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन कर लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया इस मामले में अन्य राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है ताकि जमा बीमा निगम जितनी जल्दी व्यवहार्य हो उतनी जल्दी इस योजना की सुविधा को हकदार सहकारी समितियों की काफ़ी बड़ी संख्या के लिये लागू कर सके।

23. 31 दिसंबर 1969 को कुल 1,324 सहकारी बैंक थे। इनमें से एक लाख रुपये या उससे अधिक प्रदत्त पंजी और रक्षित निधियोंवाले 930 प्राथमिक सहकारी बैंक, 366 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 28 राज्य सहकारी बैंक थे। प्राथमिक सहकारी बैंकों में वेतनभोक्ताओं की 283 समितियाँ भी शामिल हैं। वेतनभोक्ताओं की बहुत सी जिन समितियों का

पहले प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में वर्गीकरण किया गया था, उनको फिर से गैर-बैंकिंग समितियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और उनके इस बात के लिए राजी हो जाने पर कि वे गैर-सदस्यों से जमा प्राप्त नहीं करेंगी, उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विस्तार क्षेत्र से निकाल दिया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी बैंकों पर लागू) के अधीन बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए सभी सहकारी बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लाइसेंस लेना जरूरी है परंतु जो बैंक इस अधिनियम के लागू होने की तारीख अर्थात् 1 मार्च 1966 को विद्यमान थे उन्हें तब तक बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है जब तक उन्हें लाइसेंस नहीं दे दिया जाता या उन्हें यह सूचित नहीं कर दिया जाता कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लाइसेंस देने से पहले रिजर्व बैंक इन बैंकों का निरीक्षण करता है। दिसंबर 1969 के अंत तक केवल 21 सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

24. भारत सरकार ने श्री. एस. एस. शिरालकर, अतिरिक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था ताकि यह दल अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, छोटे रोजगार, ऋण बीमा योजना लघु कृषि तथा अपना काम आप करनेवाले व्यक्तियों आदि को ऋण देने में ऋणदाता बैंकों द्वारा उठाए जानेवाले ऋण जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करनेवाली एक विस्तृत बीमा योजना तैयार कर सके। इस दल ने 15 नवंबर 1969 को अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की गई है कि ऋण बीमा योजना को पूरा करने का कार्य जमा बीमा निगम को सौंपा जाए। इस वर्ष के अंत तक यह रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन ही थी।

25. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन श्री. वी. एच. वीरा का निदेशक बोर्ड निगम के निदेशक के रूप में 31 दिसंबर 1969 को कार्यकाल समाप्त होने पर केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक की सिफारिश पर उन्हें पहली जनवरी 1970 से दो वर्ष के लिए फिर से निदेशक मनोनीत किया। और कार्यकारिणी समिति वाद में, निदेशक बोर्ड ने श्री वीरा को कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में फिर से मनोनीत किया।

26. इस वर्ष के दौरान निदेशक-बोर्ड की 5 और कार्यकारिणी समिति की 4 बैठकें हुईं।

27. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की पूर्व-स्वीकृति से निदेशक बोर्ड ने वर्ष 1969 के लिए मेसर्स के. एस. अय्यर एण्ड लेखा परीक्षक कं. को निगम का लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है।

28. निगम को कार्यालय-स्थान और अन्य आकस्मिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ की गई व्यवस्थाएँ इस वर्ष जारी रहीं।

निगम की ओर से

लक्ष्मी कान्त झा

अध्यक्ष

बंबई,  
तारीख 18 मार्च 1970



परिशिष्ट I

31 दिसंबर 1969 को रजिस्ट्रीकृत बीमाकृत बैंकों की सूची

- \*1. इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता
2. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन, बंबई
3. आंध्र बैंक लिमिटेड, मसूलिपट्टनम
4. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन, बंबई
- \*5. बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा
6. बैंक ऑफ कोचीन लि. एर्णाकुलम
- \*7. बैंक ऑफ इंडिया, बंबई
8. बैंक ऑफ कराड़ लि., कराड़
9. बैंक ऑफ मदुरा लि., मदुरै
- \*10. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूना
11. बैंक ऑफ राजस्थान लि., जयपुर
12. बैंक ऑफ टोकियो लि., कलकत्ता
13. बैंक नेशनले डि पेरिस, बंबई
14. वरेली कार्पोरेशन (बैंक) लि., वरेली
15. बारी दोआब बैंक लि., होशियारपुर
16. बेलगाँव बैंक लि., बेलगाँव
17. बनारस स्टेट बैंक लि., वाराणसी
18. ब्रिटिश बैंक ऑफ दी मिडल ईस्ट, बंबई
- \*19. केनरा बैंक, मंगलूर
20. केनरा बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, उडिपी
21. कैथोलिक सीरियन बैंक लि., त्रिचूर
- \*22. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंबई
23. चार्टर्ड बैंक, कलकत्ता
- \*24. देना बैंक, बंबई
25. धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिचूर
26. ईस्टर्न बैंक लि., कलकत्ता
27. फेडरल बैंक लि., अलवाई
28. फ्रस्टे नेशनल सिटी बैंक, बंबई
29. गरुड बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि., कुरुंदवाड
30. गोहाटी बैंक लि., गोहाटी
31. जनरल बैंक ऑफ दी नोदर्लैण्ड्स, कलकत्ता
32. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि., कानपुर
33. हिन्दुस्तान मर्केंटाइल बैंक लि., कलकत्ता
34. हाँगकाँग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन, कलकत्ता
- \*35. इंडियन बैंक, मद्रास
- \*36. इंडियन ओवरसीज बैंक, मद्रास
37. जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लि., श्रीनगर
38. झरिया इंडस्ट्रियल बैंक प्राइवेट लि., झरिया
39. कर्नाटक बैंक लि., मंगलूर
40. करूर वैश्य बैंक लि., करूर
41. काशी नाथ सेठ बैंक प्राइवेट लि. शाहजहानपुर
42. कृष्णराम बलदेव बैंक लि., ग्वालियर
43. कुंभकोराम सिटी यू.नियन बैंक लि., कुंभकोराम
44. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली
45. लक्ष्मी विलास बैंक लि., करूर
46. लाँड कृष्ण बैंक लि., कंगनूर

47. मर्कंटाइल बैंक लि., बंबई
48. मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज
49. मित्सुई बैंक लि., बंबई
50. नैनीताल बैंक लि., नैनीताल
51. नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लि., नई दिल्ली
52. नेशनल एण्ड ग्रिडलेज बैंक लि., कलकत्ता
53. नेशनल बैंक ऑफ़ लाहौर लि., दिल्ली
54. नेडुनगाडी बैंक लि., कोळिकोड
55. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली
56. ऑरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लि., दिल्ली
57. परूर सेंट्रल बैंक लि., उत्तर परूर
58. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक, जालंधर शहर
59. पंजाब एण्ड काश्मीर बैंक लि., दिल्ली
- \*60. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली
61. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि., नई दिल्ली
62. रत्नाकर बैंक लि., कोल्हापुर
63. साहूकारा बैंक लि., लुधियाना
64. सांगली बैंक लि., सांगली
65. साउथ इंडिया बैंक लि., तिरुनेलवेली
66. साउथ इंडियन बैंक लि., त्रिचूर
67. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर शहर
68. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, हैदराबाद
69. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, बंबई
70. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर, इंदौर
71. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, बंगलूर
72. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, पटियाला
73. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र, भावनगर
74. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावनकोर, त्रिवेन्द्रम
- \*75. सिडीकॉट बैंक, मरिणपाल
76. तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि., तूत्तुकुडि
77. तंजाऊर परमनेंट बैंक लि., तंजाऊर
78. ट्रेडर्स बैंक लि., नई दिल्ली
- \*79. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बंबई
- \*80. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, कलकत्ता
- \*81. युनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता
82. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कलकत्ता
83. युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सतारा शहर
84. विजय बैंक लि., मंगलूर
85. वैश्य बैंक लि., बंगलूर

\*तदनु रूपी नये बैंक

परिशिष्ट II

बीमे के अंतर्गत आनेवाले बैंकों का उनके आकार के अनुसार विश्लेषण  
(1961 के दिसंबर तथा 1962 से 1969 तक प्रत्येक वर्ष के सितंबर के अंतिम शुक्रवार को)

(रुपये लाखों में)

बैंकों की संख्या	पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खातों की संख्या (अर्थात् वे खाते जिनके अधिशेष 1967 तक 1,500 रु. से अधिक न थे और उसके बाद 5,000 रु. से अधिक न थे)	खातों की कुल संख्या	(3) से (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा (अर्थात् सभी खातों में 1967 तक 1,500 रु. तक और उसके बाद 5,000 रु. तक की राशियाँ)	बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय कुल जमा	(6) से (5) का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>बैंक जिनकी जमाराशियाँ :</b>							
<b>(i) 100 करोड़ रुपयों से अधिक हैं</b>							
1961	.. 5	19,07,565	26,08,513	73.1	17244.19	86024.65	20.4
1962	.. 5	20,56,863	28,61,493	71.9	19855.88	96614.94	20.5
1963	.. 5	23,03,769	32,01,003	72.0	22279.55	108010.07	20.6
1964	.. 6	30,74,624	42,29,309	72.7	29088.07	138462.50	21.0
1965	.. 7	39,65,311	54,77,182	72.4	37999.30	166473.38	22.8
1966	.. 8	50,96,334	70,56,148	72.2	49678.17	207848.96	23.9
1967	.. 9	66,42,248	90,41,212	73.5	61039.83	243480.54	25.1
1968	.. 11	1,00,17,283	1,11,98,695	89.5	145059.51	293553.75	49.4
1969	.. 13	1,34,26,587	1,49,27,864	89.9	183358.19	361872.86	50.7
<b>(ii) 50 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 100 करोड़ रुपयों तक हैं</b>							
1961	.. 5	7,70,242	10,14,608	75.8	6197.07	31166.68	19.8
1962	.. 5	8,25,565	10,96,603	75.3	6813.43	33754.29	20.2
1963	.. 4	9,09,942	12,13,716	75.0	7614.56	31888.94	23.9
1964	.. 5	13,85,569	17,80,744	77.8	10333.84	38319.58	27.0
1965	.. 6	21,19,236	26,29,196	80.6	13441.78	43504.23	30.9
1966	.. 8	27,12,915	33,44,641	81.1	16821.24	56402.65	29.8
1967	.. 7	24,04,677	29,85,961	80.5	15648.78	51198.50	30.6
1968	.. 5	26,15,724	27,62,162	94.7	21731.23	37076.06	58.6
1969	.. 6	20,21,341	21,65,761	93.3	20226.22	39500.58	51.2
<b>(iii) 25 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 50 करोड़ रुपयों तक हैं</b>							
1961	.. 5	6,71,802	8,31,405	80.8	4305.59	15026.17	28.7
1962	.. 5	7,54,562	9,47,116	79.6	5068.76	17148.89	29.5
1963	.. 6	13,05,115	15,84,932	82.3	7635.97	27658.34	27.6
1964	.. 8	14,06,449	16,86,914	83.4	7775.89	31144.64	25.0
1965	.. 9	12,98,142	16,14,713	80.4	8512.36	33181.42	25.7
1966	.. 8	10,76,654	13,49,163	79.8	6953.68	28241.16	24.6
1967	.. 10	12,87,232	16,26,261	79.2	8549.17	36531.65	23.4
1968	.. 10	14,50,790	15,87,460	91.4	16830.64	38908.14	43.3
1969	.. 7	11,14,532	12,15,328	91.7	13083.03	29089.03	45.0

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(iv) 10 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 25 करोड़ रुपयों तक हैं							
1961 .. 11	9,51,626	11,30,263	84.2	4952.99	17871.79	27.7	
1962 .. 11	10,26,510	12,33,390	83.2	5828.39	21796.82	26.7	
1963 .. 12	9,89,313	12,25,841	80.7	6286.75	24696.62	25.5	
1964 .. 9	6,85,824	8,46,847	81.0	4156.66	17710.56	23.5	
1965 .. 7	3,81,855	4,90,263	77.9	2719.16	12343.60	22.0	
1966 .. 6	3,23,116	4,10,032	78.8	2188.51	10178.57	21.5	
1967 .. 8	5,66,097	6,94,121	81.6	3395.39	10513.08	32.3	
1968 .. 10	7,74,261	8,31,448	93.1	8067.82	13730.52	58.8	
1969 .. 13	10,67,445	11,44,792	93.2	10929.91	19644.14	55.6	
(v) 1 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपयों तक हैं							
1961 .. 45	8,80,365	10,55,542	83.4	4775.77	15521.78	30.8	
1962 .. 44	9,45,560	11,40,084	82.9	5410.09	16298.88	33.1	
1963 .. 42	8,07,526	9,72,810	83.0	4616.52	15063.93	30.6	
1964 .. 38	8,22,542	9,99,196	82.3	4830.59	15234.29	31.7	
1965 .. 45	10,04,606	12,13,486	82.8	5747.14	17408.50	33.0	
1966 .. 45	10,73,854	13,06,528	82.2	6342.99	19887.97	31.9	
1967 .. 40	9,05,355	11,06,705	81.8	5361.91	17871.08	30.0	
1968 .. 39	10,48,011	11,19,936	93.6	10285.43	17488.71	58.8	
1969 .. 35	9,29,054	9,95,473	93.3	9466.18	16428.58	57.6	
(vi) 1 करोड़ रुपये या उससे कम हैं							
1961 .. 214	3,60,052	4,18,117	86.1	1756.20	3763.70	46.7	
1962 .. 203	3,68,360	4,24,862	86.7	1823.61	3913.47	46.5	
1963 .. 191	3,36,401	3,88,630	86.6	1582.94	3360.00	47.1	
1964 .. 138	2,51,218	2,94,166	85.4	1251.60	2857.08	43.8	
1965 .. 43	1,28,655	1,51,076	85.2	642.37	1483.31	43.3	
1966 .. 28	81,280	97,106	83.7	444.72	1071.98	41.5	
1967 .. 19	60,923	71,581	85.1	296.02	754.62	39.2	
1968 .. 13	46,204	47,849	96.6	304.03	430.51	70.6	
1969 .. 12	50,092	51,886	96.5	341.53	473.11	72.2	
जोड़							
1961 .. 285	55,41,652	70,58,448	78.5	39231.81	169374.77	23.1	
1962 .. 273	59,77,420	77,03,548	77.6	44800.16	189527.29	23.6	
1963 .. 260	66,52,066	85,86,932	77.5	50016.29	210677.90	23.7	
1964 .. 204	76,26,226	98,37,176	77.5	57436.65	243728.65	23.6	
1965 .. 117	88,97,805	1,15,75,916	76.9	69062.11	274394.44	25.2	
1966 .. 103	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	82429.31	323631.29	25.5	
1967 .. 93	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	94291.10	360349.47	26.2	
1968 .. 88	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	202278.66	401187.69	50.4	
1969 .. 86	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	237405.06	467008.30	50.8	

परिशिष्ट III

जमा बीमा निगम

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में 31 दिसंबर 1969 तक किये गये निवेशों का व्यौरा

विवरण	अंकित मूल्य रु. (1)	वही-मूल्य रु. (2)	दर रु. % (3)	बाजार मूल्य रु. (4)
<b>जमा बीमा निधि :</b>				
4½% 1971 ..	2,60,10,000.00	2,58,63,482.80	100.80	2,62,18,080.00
5% 1982 ..	1,30,55,000.00	1,31,58,440.00	102.10	1,33,29,155.00
5½% 1990 ..	1,70,000.00	1,70,510.00	103.50	1,75,950.00
5½% 1999 ..	10,04,42,600.00	10,07,09,384.00	100.35	10,07,94,149.10
	<u>13,96,77,600.00</u>	<u>13,99,01,816.82</u>		<u>14,05,17,334.10</u>
मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था : घटाइये		5,50,000.00		
		<u>13,93,51,816.82</u>		
<b>सामान्य निधि :</b>				
3 % 1970-75 ..	75,000.00	65,787.50	99.25	74,437.50
3¾% 1974 ..	25,00,000.00	24,88,750.00	98.15	24,53,750.00
4 % 1972 ..	1,05,000.00	1,02,962.50	99.80	1,04,790.00
4 % 1981 ..	25,00,000.00	24,62,500.00	96.25	24,06,250.00
4¼% 1972 ..	1,00,000.00	1,00,000.00	100.50	1,00,500.00
4¼% 1973 ..	30,000.00	30,000.00	100.80	30,240.00
4½% 1971 ..	10,75,000.00	10,69,625.00	100.80	10,83,600.00
4½% 1985 ..	1,00,000.00	1,00,075.00	99.00	99,000.00
4½% 1986 ..	1,00,000.00	1,00,000.00	98.75	98,750.00
4¾% 1972 ..	1,00,000.00	1,00,000.00	102.15	1,02,150.00
4¾% 1989 ..	2,20,000.00	2,19,125.00	98.90	2,17,580.00
5 % 1982 ..	15,00,000.00	15,00,000.00	102.10	15,31,500.00
5½% 1991 ..	1,10,000.00	1,09,012.50	102.40	1,12,640.00
5½% 1999 ..	30,16,400.00	30,23,986.00	100.35	30,26,957.40
	<u>1,15,31,400.00</u>	<u>1,14,71,823.50</u>		<u>1,14,42,144.90</u>

परिशिष्ट IV

31-12-1969 तक भुगतान अथवा व्यवस्था किये गये दावे और प्राप्त प्रतिपूर्ति

(रुपये लाखों में)

बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की सूची के अनुसार दावों के पूरे भुगतान के लिए पहले प्रेषण की तारीख	पहले ही भुगतान की गई बीमाकृत जमा-राशियाँ	अदावी रहनेवाली ऐसी बीमाकृत जमा-राशियाँ जिनके लिए व्यवस्था की गई है।	भुगतान अथवा व्यवस्था की गई कुल बीमाकृत जमा-राशियाँ
1	2	3	4	5
1962	.. —	—	—	—
1963 (i) बैंक ऑफ़ चाइना	.. 27-4-1963	6.43	2.82*	9.25
(ii) यूनिटी बैंक लि., मद्रास	.. 13-9-1963	2.52	0.02	2.54
(iii) बैंक ऑफ़ अलगापुरी लि., अलगापुरी	.. 24-12-1963	0.28	—	0.28
			(रु. 43)	
1964		9.23	2.84	12.07
(iv) मेट्रोपॉलिटन बैंक लि., कलकत्ता	.. 6-5-1964	8.74	0.06	8.80
(v) कोचिन नायर बैंक लि., त्रिचूर	.. 3-6-1964	7.04	0.06	7.10
(vi) लेटिन क्रिश्चियन बैंक लि., एर्राकुलम	.. 19-11-1964	2.08	—	2.08
(vii) उन्नाव कमशियल बैंक लि., उन्नाव	.. 26-11-1964	1.06	0.02	1.08
(viii) सदरन बैंक लि., कलकत्ता	.. 12-12-1964	7.28	0.06	7.34
		26.20	0.20	26.40
1965				
(ix) श्री जदेया शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर	.. 1-2-1965	0.12	—	0.12
1966				
(x) नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान कलकत्ता	.. 20-9-1966	0.99	—	0.99
(xi) हबीब बैंक लि., बंबई	.. 5-10-1966	15.73	1.54*	17.27
		16.72	1.54	18.26
1967	.. —	—	—	—
1968	.. —	—	—	—
1969				
(xii) चावला बैंक लि., देहरादून	.. 13-10-1969	0.18	—	0.18
			(रु. 2.65)	
		जोड़ 52.45	4.58	57.03
		वर्ष के अंत तक प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति : घटाइये 31.37	4.35	35.72
		21.08	0.23	21.31

\*2.82 लाख रुपये तथा 1.54 लाख रुपये के आँकड़ों में पता लग सकनेवाले जमाकर्ताओं के क्रमशः 0.30 लाख रुपयों और 0.01 लाख रुपयों के ऐसे दावे शामिल हैं जिनका संवितरण होना है।

टिप्पणी :—ऊपर दी गयी दावों की रकमें निम्नलिखित मामलों के बाबत समायोजन करके निकाली गयी हैं :—

(i) जिन मामलों में यह मालूम हुआ कि एक ही जमाकर्ता के नाम एक से अधिक और अधिकार में एक से अधिक जमा खाते थे; (ii) जिन मामलों में एक से अधिक जमाखाते एक ही जमाकर्ता के नाम एक से अधिक और अधिकार में मान लिए गये थे परंतु बाद में पता चला कि वे एक ही जमाकर्ता के कब्जे में नहीं थे; (iii) कुछ जमाखातों के अधिशेषों का पुनर्निर्माण और (iv) कुछ ऐसे जमाकर्ताओं के मामलों में किये गये भुगतान जिनका मूलतः पता नहीं लग सका परंतु जिन्होंने बाद में अपने दावे पेश किये हैं।

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने जमा बीमा निगम के 31 दिसंबर 1969 तक के संलग्न तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा कर ली है। इसमें उक्त तारीख को क्रमशः जमा बीमा निधि तथा सामान्य निधि की स्थिति दिखाई गई है। हमने उक्त तुलन-पत्र के साथ लगे, उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त दोनों निधियों की आय और उनके व्यय को दर्शानेवाले आय-व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा कर ली है। हम उक्त तुलन-पत्र तथा लेखों के बारे में नीचे लिखे अनुसार अपनी रिपोर्टें देते हैं :—

(1) हमने लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और वे सन्तोषजनक हैं।

(2) हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं उनके अनुसार उक्त तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है और वह सभी आवश्यक विवरण देते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि उससे 31 दिसंबर 1969 को निगम के कारोबार की स्थिति का सही चित्र सामने आ सके और उक्त तुलनपत्र जमा बीमा निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

वंवई

20 मार्च 1970

के. एस. अय्यर एण्ड कं.

सनदी लेखापाल

जमा बीमा  
(जमा बीमा निगम अधिनियम,  
विनियम 18  
31 दिसंबर 1969 को कारोबार समाप्त  
I—जमा

31 दिसंबर 1968 को रु. पै.	देयताएँ	रु. पै.	रु. पै.
8,59,36,747.24	1. निधि : वर्ष के आरंभ में शेष	11,13,49,413.70	
2,54,12,666.46	जोड़िये : वर्ष के दौरान निधि में हुआ शुद्ध उपचय जिसका आय-व्यय लेखे से अंतरण किया गया ।	3,00,97,843.47	
11,13,49,413.70	वर्ष के अंत में शेष		14,14,47,257.17
—	2. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिये गये अग्रिम (जमा-बीमा निगम अधि- नियम की धारा 26)		—
—	3. सामान्य निधि से लिये गये अग्रिम (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 27)		—
6,69,477.46	4. अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा राशियाँ (दुतरफा) (अनुबंध II के अनुसार)		4,57,297.21
—	5. बीमाकृत बैंकों के रूप में जिन बैंकों की रजिस्ट्री रद्द कर दी गयी है उनकी बीमाकृत जमा-राशियाँ (दुतरफा)		—
46,156.74	6. अन्य देयताएँ :— बैंकों को वापस की जानेवाली अधिक बीमा किस्त की राशि		1,02,885.54
11,20,65,047.90			14,20,07,439.92

नोट : बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में समामेलित किये गये बैंक ऑफ़ बिहार लि., की बीमाकृत जमा-राशियों के दावों की रकम का अनुमान लगभग 60 लाख रुपये लगाया गया है।  
बंबई, 20 मार्च 1970

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार  
के एस. अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखापाल



निगम

1961 के अधीन स्थापित)

फार्म 'क'

होने के समय का तुलन-पत्र

बीमा निधि

31 दिसंबर 1968 को रु. पै.	आस्तियाँ	रु. पै.	रु. पै.
10,413.80	1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास शेष		10,133.99
10,92,52,342.82 (रु. 10,96,92,000.00) (रु. 11,06,12,770.00)	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (ऋणमूल्य पर मूल्य ह्रास के लिए 5,50,000 रु. की व्यवस्था घटाने के बाद) (अंकित मूल्य रु. 13,96,77,600.00) (बाजार मूल्य रु. 14,05,17,334.10)		13,93,51,816.82
18,31,929.60	3. निवेशों पर प्रोद्भूत व्याज		18,26,959.51
20,90,935.78	4. पहले ही अदा की गई बीमाकृत जमा-राशियों के लिए जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे घटाइये: अनुमानित बीमा हानि के लिए व्यवस्था (अनुबंध I के अनुसार)	21,09,187.77	
13,35,704.00		14,86,608.00	
7,55,231.78			6,22,579.77
6,69,477.46	5. (क) अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा-राशियों के लिए जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे (दुतरफा) रु. 4,57,297.21 घटाइये: अद्यतन प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति रु. 4,35,072.09	22,225.12	
6,47,254.99			
22,222.47	(ख) जिन बैंकों की बीमाकृत बैंकों के रूप में रजिस्ट्री रद्द कर दी गयी है उनकी बीमाकृत जमा-राशियों के लिए जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे (दुतरफा)		
—		—	
22,222.47		22,225.12	
14,296.00	घटाइये: अनुमानित बीमा हानि के लिए व्यवस्था	13,392.00	
7,926.47			8,833.12
1,97,850.55	6. अन्य आस्तियाँ बैंकों द्वारा देय बीमाकिस्त की बकाया राशि अधिनियम की धारा 17(2) के अधीन किए गए दावों के लिए अदा की गई रकम जिसका संवितरण नहीं हुआ	1,77,763.83	
9,352.88		9,352.88	
2,07,203.43			1,87,116.71
11,20,65,047.90			14,20,07,439.92

एम. जे. अम्बानी  
मैनेजर  
बंबई, 18 मार्च 1970

आर. के. शोषाद्रि  
कार्यकारी निदेशक

लक्ष्मी कान्त झा  
बी. एन. अडारकर  
पी. के. घोष }  
अध्यक्ष  
निदेशक

जमा बीमा  
(जमा बीमा निगम अधिनियम,  
विनियम 18—  
31 दिसंबर 1969 को कारोबार बन्द  
II—सामान्य

31 दिसंबर 1968 को रु. पै.	देयताएँ	रु. पै.	रु. पै.
1,00,00,000.00	1. पूंजी जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 4 के अधीन रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दी गई		1,00,00,000.00
8,14,090.55	2. रक्षित निधियाँ सामान्य रक्षित निधियाँ	10,52,593.44	
6,10,000.00	निवेश की रक्षित निधियाँ	6,10,000.00	
—	अन्य रक्षित निधियाँ	—	
14,24,090.55			16,62,593.44
—	3. वर्तमान देयताएँ और व्यवस्थाएँ कर्मचारी भविष्य निधि	—	
—	कर्मचारी उपदान निधि	—	
26,969.97	अन्य देयताएँ : वकाया खर्च	35,836.16	
26,969.97			35,836.16
1,14,51,060.52			1,16,98,429.60

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं.

सनदी लेखापाल

बंबई, 20 मार्च 1970

निगम

1961 के अधीन स्थापित)

फार्म 'क'

होने के समय का तुलन-पत्र

निधि

31 दिसम्बर 1968 को रु. पै.	आस्तियाँ	रु. पै.	रु. पै.
81.93	1. नकदी	92.20	
3,477.37	(1) हाथ में		
	(2) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास	24,402.19	24,494.39
3,559.30			
1,12,48,142.50	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत मूल्य पर)		1,14,71,823.50
1,13,15,000.00	(अंकित मूल्य रु. 1,15,31,400.00)		
1,12,09,130.00	(बाजार मूल्य रु. 1,14,42,144.90)		
1,82,416.30	3. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		1,85,416.93
—	4. जमा बीमा निधि को दिए गये अग्रिम, यदि कोई हो (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 27 देखिये)		—
	5. अन्य आस्तियाँ		
10,685.91	मूल्यह्रास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपस्कर	10,282.21	
1,428.51	स्टेशनरी का स्टॉक	1,682.13	
162.20	मूल्यह्रास घटाकर पुस्तकालय की पुस्तकें	208.00	
4,153.00	'अपना टेलीफोन लगवाइये' योजना के अधीन दी गई जमा	3,903.00	
512.80	पूर्वदत्त खर्चें	619.44	
16,942.42			16,694.78
1,14,51,060.52			1,16,98,429.60

एम. जे. अम्बानी  
मैनेजर  
बंबई, 18 मार्च 1970

आर. के. शेषाद्रि  
कार्यकारी निदेशक

लक्ष्मी कांत झा  
बी. एन. अडारकर  
पी. के. घोष

अध्यक्ष  
निदेशक

जमा बीमा

(फार्म

I—31 दिसंबर 1969 को समाप्त

पिछला वर्ष		व्यय				
रु.	पै.		रु.	पै.	रु.	पै.
—		बीमा हानियों के बाबत :	—			
13,50,000.00		(क) वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए दावे	15,00,000.00			
13,50,000.00		(ख) वर्ष के अंत में अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था	15,00,000.00			
12,00,000.00		(ग) घटाइये :	13,50,000.00		1,50,000.00	
1,50,000.00		वर्ष के आरंभ में अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था				
—		रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से अग्रिमों पर ब्याज (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 26)			—	
—		सामान्य निधि से लिए गए अग्रिमों पर ब्याज (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 27)			—	
2,54,12,666.46		निधि को अंतरित वास्तविक उपचय			3,00,97,843.47	
2,55,62,666.46					3,02,47,843.47	

बंबई, 20 मार्च 1970

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं.  
सनदी लेखापाल

निराम

(ख)

हुए वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा (जमा बीमा निधि)

पिछला वर्ष रु. पै.	आय	रु. पै.	रु. पै.
1,99,86,607.55	बीमा किस्तों से (व्याज को मिलाकर)		2,30,72,864.73
55,76,058.91	निवेशों से आय		71,74,978.74
2,55,62,666.46			3,02,47,843.47

एम. जे. अम्बानी  
मैनेजर  
बंबई, 18 मार्च 1970

आर. के. शोषाद्रि  
कार्यकारी निदेशक

लक्ष्मी कान्त झा  
बी. एन. अडारकर  
पी. के. घोष

अध्यक्ष  
निदेशक

पिछला वर्ष रु. पै.	व्यय	रु. पै.
2,50,015.41	वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि में अंशदान	2,35,890.24
11,439.06	कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि में अंशदान	10,625.28
1,250.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों की फ़ीस	1,350.00
8,329.70	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते	8,124.00
38,268.64	किराया, कर, बीमा, प्रकाश आदि	37,933.84
—	स्थापना—यात्रा एवं विराम भत्ते	1,119.85
5,787.28	छपाई और लेखन सामग्री	5,221.48
2,702.09	डाक, तार और टेलीफ़ोन	2,473.20
2,000.00	लेखा परीक्षकों की फ़ीस	2,500.00
2,025.68	विधि प्रभार	252.00
17,403.20	विविध खर्च	5,986.02
2,138.34	मूल्यहास	1,887.76
1,57,683.92	व्यय की तुलना में आय की वृद्धि का शेष जो नीचे लाया गया	2,38,502.89
4,99,043.32		5,51,866.56
1,57,683.92	सामान्य निधि को अंतरित	2,38,502.89
—	अन्य रक्षित निधियों को अंतरित	—
—	निवेश रक्षित निधि को अंतरित	—
1,57,683.92		2,38,502.89

बंबई, 20 मार्च 1970

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं.  
सनदी लेखापाल

निगम

ख)

हुए वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा (सामान्य निधि)

पिछला वर्ष रु. पै.	आय	रु. पै.
4,99,019.05	निवेशों से आय	5,51,843.22
—	जमा बीमा निधि को दिये गए अग्रिम पर व्याज	—
24.27	विविध प्राप्तियाँ	23.34
4,99,043.32		5,51,866.56
1,57,683.92	व्यय की तुलना में आय की वृद्धि का शेष जो नीचे लाया गया	2,38,502.89
1,57,683.92		2,38,502.89

एम. जे. अम्बानी  
मैनेजर  
बंबई, 18 मार्च 1970

आर. के. शेषाद्रि  
कार्यकारी निदेशक

लक्ष्मी कान्त झा  
बी. एन. अडारकर }  
पी. के. घोष }  
अध्यक्ष  
निदेशक

## अनुबन्ध I

### जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन (Subrogated) दावे

	रु.	पै.	रु.	पै.
पिछले वर्ष के अंत तक अदा की गई कुल रकम (पता न लगाए जा सकनेवाले खातों से पता लगाए जा सकनेवाले खातों को अंतरित किए गए 2,12,182.90 रूपयों को जोड़कर और निगम को इस वर्ष के दौरान लौटाए गए 15.32 रूपयों को घटाकर)			52,27,689.27	
घटाइये :				
(i) पिछले वर्ष के अंत तक प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ (पता न लगाए जा सकनेवाले खातों से पता लगाए जा सकनेवाले खातों को अंतरित किए गए 2,12,182.90 रूपयों को जोड़कर और उपरोक्त 15.32 रूपयों की धन-वापसी में से किए गए समायोजन के 6.13 रूपयों को घटाकर)		31,36,762.68		
(ii) पिछले वर्ष के अंत तक बट्टे खाते डाले गए दावे		कुछ नहीं		
(iii) पिछले वर्ष के अंत तक की अनुमानित हानियों के लिए व्यवस्था		13,35,704.00		
		<hr/>	44,72,466.68	
अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था को घटाकर वर्ष के आरंभ में अदा की गई वास्तविक रकम			<hr/>	7,55,222.59
जोड़िये : वर्ष के दौरान अदा की गई बीमाकृत जमा-राशियाँ				18,261.18
			<hr/>	7,73,483.77
घटाइये :				
(i) वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ		कुछ नहीं		
(ii) वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए दावे		कुछ नहीं		
(iii) वर्ष के दौरान अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था (इसमें अदावी जमा-राशियों की अनुमानित हानि की व्यवस्था के लिए अंतरित रु. 904 भी शामिल हैं)		1,50,904.00	1,50,904.00	
		<hr/>	<hr/>	
अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था को घटाकर वर्ष के अंत तक अदा की गई वास्तविक रकम			<hr/>	6,22,579.77

## अनुबन्ध II

### 31 दिसंबर 1969 को अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा-राशियाँ

	रु.	पै.	रु.	पै.
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि			6,69,477.46	
जोड़िये : वर्ष के दौरान पेश की गई परंतु अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा-राशियों की रकम				2.65
			<hr/>	6,69,480.11
घटाइये : वर्ष के दौरान पेश किए गए और अदा किये गये दावों की रकम (यह रकम चीनी जमाकर्ताओं के दावों के लिए शत्रु-संपत्ति परिरक्षक को अदा की गई थी)				2,12,182.90
			<hr/>	4,57,297.21





# DEPOSIT INSURANCE CORPORATION



ESTABLISHED BY ACT OF PARLIAMENT



Every depositor is guaranteed  
repayment of his deposits  
upto Rs. 10,000/- in each insured bank

**EIGHTH  
ANNUAL REPORT**

**DIRECTORS' REPORT, BALANCE SHEET AND ACCOUNTS  
FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER 1969**

# DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

## BOARD OF DIRECTORS

### CHAIRMAN

SHRI L. K. JHA  
Governor, Reserve Bank of India,  
Bombay.

### DIRECTORS

SHRI B. N. ADARKAR  
Deputy Governor, Reserve Bank of India,  
Bombay.

*Director,* SHRI D. N. GHOSH  
~~Deputy Secretary~~, Ministry of Finance,  
Department of Banking,  
Government of India.

SHRI P. K. GHOSH

SHRI V. H. VORA

### EXECUTIVE DIRECTOR

SHRI R. K. SESHADRI

### MANAGER

SHRI M. J. AMBANI

### BANKERS

Reserve Bank of  
India

### AUDITORS

Messrs. K. S. Aiyar & Co.,  
Chartered Accountants,  
49, Apollo Street,  
Bombay-1.

### REGISTERED OFFICE

Vidyut Bhavan,  
Pathakwadi, Opposite G. T. Hospital,  
Post Bag No. 2810,  
Bombay-2.

**LETTER OF TRANSMITTAL**

**DEPOSIT INSURANCE CORPORATION**

Vidyut Bhavan,  
Pathakwadi, Opposite G. T. Hospital,  
Post Bag No. 2810,  
BOMBAY-2.

367/DIC. 50B-70.

31st March, 1970

---

Chaitra 10, 1892 (Saka)

The Secretary,  
Reserve Bank of India,  
Central Office,  
Bombay.

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith the following documents :—

- (1) The Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31st December 1969 together with the Auditors' Report ;

and

- (2) The Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1969.

Yours faithfully,

M. J. AMBANI

*Manager.*

**REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION DURING  
THE YEAR ENDED THE 31ST DECEMBER 1969**

The Board of Directors hereby presents, in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, the Eighth Annual Report on the working of the Corporation during the year ended the 31st December 1969.

2. At the commencement of the year 1969, the number of commercial banks registered with the Corporation as insured banks stood at 88. In the course of the year, the registration of 3 insured banks was cancelled under section 13 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 as a result of amalgamation with or transfer of assets and liabilities to other insured banks. Particulars of banks the registration of which was cancelled during the year, are given below :-

Name of insured bank	Reason for cancellation of registration	Date of cancellation of registration	Assessable deposits as on the date of deregistration	Name of transferee bank
(In lakhs of rupees)				
1. Chawla Bank Ltd. ..	.. Amalgamation	23-6-1969	3.46	New Bank of India Ltd.
2. Bank of Karaikudi Ltd. ..	.. Transfer of liabilities and equivalent assets	31-10-1969	88.43	Bank of Madura Ltd.
3. Bank of Behar Ltd. ..	.. Amalgamation	8-11-1969	1556.27	State Bank of India

There were thus 85 insured banks registered with the Corporation as at the close of the year (*vide* Appendix I).

3. Since the establishment of the Corporation in January 1962, the registration of 204 banks has been cancelled. The Corporation's liability has been attracted, however, only in 13 cases. In respect of the other 191 banks, the Corporation did not find it necessary to make any payments, as the liabilities to the depositors in full were transferred to other banks or were discharged by the banks themselves.

4. The table below indicates the reduction in the number of insured banks from year to year.

Year	No. of registered banks as at the commencement of the year	NO. OF BANKS DEREGISTERED			No. of registered banks as at the close of the year
		Total	Where Corporation's liability		
			was attracted	was not attracted	
1	2	3	4	5	6
1962	287	11	2	9	276
1963	276	26	1	25	250
1964	250	94	6	88	157@
1965	157	48	—	48	109
1966	109	10	2	8	100@
1967	100	9	—	9	91
1968	91	3	—	3	88
1969	88	3	2	1	85
		204	13	191	

@ After taking into account one bank which started functioning during the year.

5. The assessable deposits of all the 204 banks when their registration was cancelled amounted to Rs. 71.29 crores, of which those of 13 banks in the case of which the Corporation's liability arose, amounted to Rs. 21.13 crores. The Corporation's liability in the case of 12 banks worked out to Rs. 57.03 lakhs while its liability in respect of one bank had not yet been ascertained at the end of the year.

6. Under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 (since replaced by an Ordinance), 14 statutory corporations were established, corresponding to the existing banks, the business and undertakings of which were acquired under the Act with effect from the 19th July 1969. As the Act provided for the continuance of the status of the corresponding new banks as insured banks, the intimations of registration of the 14 nationalised banks issued to them in 1962 under section 14 of the Deposit Insurance Corporation Act were called back and after incorporating therein, the names of the corresponding new banks in pursuance of section 20 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, they were returned to the banks concerned. The names of the corresponding new banks are shown in Appendix I by an asterisk.

7. The scheme of deposit insurance as it is now in force does not, in terms of section 2(g) of the Act, cover deposits of foreign Governments, the Central Government, a State Government or a commercial bank. Deposits in these categories are, therefore, not insured by the Corporation and are not also assessable for the purposes of the premium payable by the insured banks. Deposits of autonomous or statutory bodies, quasi-Government bodies or local authorities, public undertakings and Corporations, etc. are, however, insured and are assessable to premium.

8. Information regarding the non-insurable deposits of the banks as at the end of each year from 1961 to 1969 is furnished in the table below :

(In crores of rupees)

As on the last Friday of December	Deposits from Foreign, Central and State Governments	Deposits from Commercial Banks	Total of non-insurable deposits (Col. 2+3)	Insurable deposits	Total deposits	% of (4) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
1961	207.55	92.30	299.85	1693.75	1993.60	15.0
1962	193.81	64.98	258.79	1899.17	2157.96	12.0
1963	163.48	68.84	232.32	2159.51	2391.83	9.7
1964	122.78	72.84	195.62	2471.51	2667.13	7.3
1965	101.60	106.99	208.59	2860.77	3069.36	6.8
1966	88.07	137.94	226.01	3369.48	3595.49	6.3
1967	103.47	125.69	229.16	3745.59	3974.75	5.8
1968	119.32	129.09	248.41	4203.78	4452.19	5.6
1969	133.89	118.95	252.84	4859.60	5112.44	4.9

It will be seen that the percentage of non-insurable deposits to total deposits in insured banks has declined steadily from 15.0 in 1961 to 4.9 in 1969.

9. The limit of insurance cover in respect of all the unpaid balances due to a depositor held in a bank in the same capacity and in the same right, which was raised to Rs. 5,000 with effect from the 1st January 1968, remained unchanged during the period under report. The rate of premium at 5 paise per annum payable by insured banks for every hundred rupees of their assessable deposits also remained unchanged.

**Insurance cover and rate of premium**

10. Some particulars regarding the total volume of assessable and insured deposits are furnished in the table below.

(Amounts in crores of rupees)

As on the last Friday of	No. of fully protected accounts (i.e. those with balances not exceeding Rs. 1,500 till 1967 and Rs. 5,000 thereafter)	Total No. of accounts	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits (i.e. amounts up to Rs. 1,500 in all accounts till 1967 and up to Rs. 5,000 thereafter)	Total amount of deposits assessable to premium	Percentage of (5) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
December, 1961 ..	55,41,625	70,58,448	78.5	392.32	1,693.75	23.1
September, 1962 ..	59,77,420	77,03,548	77.6	448.00	1,895.27	23.6
September, 1963 ..	66,52,066	85,86,932	77.5	500.16	2,106.78	23.7
September, 1964 ..	76,26,226	98,37,176	77.5	574.37	2,437.29	23.6
September, 1965 ..	88,97,805	1,15,75,916	76.9	690.62	2,743.94	25.2
September, 1966 ..	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	824.29	3,236.31	25.5
September, 1967 ..	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	942.91	3,603.49	26.2
September, 1968 ..	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	2,022.79	4,011.88	50.4
September, 1969 ..	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	2,374.05	4,670.08	50.8

(Charts I and II)

11. It will be seen that the total amount of deposits assessable to premium rose progressively during the period 1961-69. The percentage of the insured deposits to total assessable deposits which had increased sharply from 26.2 in 1967 to 50.4 in 1968 due to the increase in the limit of insurance cover from Rs. 1,500 to Rs. 5,000 per depositor with effect from the 1st January 1968, showed a further increase to 50.8 in 1969. The percentage of fully protected deposit accounts to the total number of deposit accounts which had increased from 76.4 in 1967 to 90.9 in 1968 for the reason stated above declined slightly to 90.8 in 1969. The deposits in fully protected and partially protected accounts form 30.6% and 69.4%, respectively of the total assessable deposits (Chart III). Although the total deposits of commercial banks have shown a steady growth, they form only 15.9% of the estimated national income as compared to 88% in Japan, 66.2% in Australia, 49.5% in U.S.A., 47.7% in Canada and 36% in U. K. (Chart IV).

12. A more detailed analysis of figures, according to the size of the insured banks, is furnished in Appendix II. At the end of September 1969, 89.0% of the fully protected accounts and 91.3% of the insured deposits were in banks having deposits of Rs. 25 crores and over. However, the proportion of accounts as well as of deposits fully covered by insurance tended to be higher in the case of smaller sized banks as compared to those of larger size. The proportion of fully protected accounts to the total number of accounts varied from 89.9 per cent to 93.3 per cent in the case of banks with assessable deposits of Rs. 25 crores and over, while it was 96.5 per cent in the case of banks with assessable deposits of Rs. 1 crore or less. The extent of cover expressed as a percentage of insured deposits to total assessable deposits varied from 45.0 per cent to 51.2 per cent. in the case of banks with deposits of Rs. 25 crores and over, while it was as high as 72.2 per cent in the case of banks with deposits of Rs. 1 crore or less.

13. The balance sheet and revenue account of the Corporation as at the close of business on the 31st December 1969 are attached, together with the auditors' report thereon.



14. As a result of the increase in the amount of assessable deposits during 1969, the accretion to the Deposit Insurance Fund during the year was higher at Rs. 300.98 lakhs as compared with Rs. 254.12 lakhs in 1968. The Fund, which amounted to Rs. 1,113.49 lakhs as at the end of 1968 increased to Rs. 1,414.47 lakhs as at the close of the year 1969. The Fund has been built up by income from insurance premia aggregating Rs. 1,217.63 lakhs and income from investments at Rs. 217.34 lakhs and after providing Rs. 20.50 lakhs for depreciation in investments and for insurance loss. The amounts in the Deposit Insurance Fund and the ratios of the said amounts to the total assessable deposits and insured deposits since 1962 are shown in the table below :

As at the end of	Amount of the Fund (In lakhs of rupees)	Percentage of assessable deposits	Percentage of insured deposits
1962	92.84	0.05	0.20
1963	202.70	0.10	0.40
1964	320.67	0.13	0.56
1965	466.63	0.17	0.68
1966	648.29	0.20	0.79
1967	859.37	0.24	0.91
1968	1,113.49	0.28	0.55
1969	1,414.47	0.30	0.60

15. The gilt-edged market continued to be steady and in view of the current market quotations of the 5½% 1992 and 1995 loans, it was decided to sell these loans and to reinvest the proceeds in the 5½% 1999 loan. The Corporation was able to earn a net profit of Rs. 6.12 lakhs, as a result of this switch without any reduction in the flat or current yields on account of reinvestment of the sale proceeds in the 5½% 1999 loan. The market value of the investments of the Deposit Insurance Fund as on the 31st December 1969 (Rs. 1,405.17 lakhs) was higher by Rs. 6.15 lakhs than their cost at Rs. 1,399.02 lakhs *vide* particulars furnished in Appendix III. In view of the appreciation in the market value of investments in the Fund, it was not considered necessary to make any further provision for depreciation out of the revenue for 1969. However, the provision of Rs. 5,50,000 held as on the 31st December 1968 has been retained.

16. Under section 26(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, the Corporation has powers to borrow from the Reserve Bank of India for the purpose of the Deposit Insurance Fund such sums as may be required up to Rs. 5 crores. Under section 27 of the Act *ibid*, the Corporation may transfer from the General Fund such amount as may be necessary to meet the requirements of the Deposit Insurance Fund. The Corporation had, however, no occasion to resort to borrowing during the year either from the Reserve Bank of India or from the General Fund.

17. The establishment charges of the Corporation which are entirely borne by the General Fund decreased during the year to Rs. 3.13 lakhs as against Rs. 3.41 lakhs in 1968, mainly because, last year's expenses included payments of arrears of Rs. 0.24 lakh on account of the upward revision of emoluments of all categories of staff. The lower expenditure, together with the increase in the income from investments from Rs. 4.99 lakhs to Rs. 5.52 lakhs resulted in a higher surplus of Rs. 2.39 lakhs as against Rs. 1.58 lakhs in 1968.

18. The holdings in the General Fund of the 5½% 1992 and 1995 loans were sold for the reasons stated in paragraph 15 and the proceeds were reinvested in the 5½% 1999 loan. This switch resulted in a net profit of Rs. 0.30 lakh without affecting the current yield on investments. The investments held in the General Fund as at the close of the year amounted to Rs. 114.72 lakhs at cost. The depreciation in the investments which amounted to Rs. 0.39 lakh at the end of 1968 has been reduced to Rs. 0.30 lakh *vide* Appendix III because of improvement in the market rates. A sum of Rs. 6.10 lakhs which was already held by the Corporation as on the 31st December 1968, as provision for depreciation on investments in the Fund has, however, been retained.



CHART I

NUMBER OF INSURED ACCOUNTS  
( AS ON LAST FRIDAY )





CHART II


AMOUNT  
OF  
INSURED  
DEPOSITS  
AS ON  
LAST FRIDAY



Note : Limit of insurance cover has since been raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 with effect from 1-4-1970.


INSURANCE COVERAGE

TOTAL NUMBER OF INSURED ACCOUNTS  
IN COMMERCIAL BANKS  
( SEPTEMBER 1969 )



2,05,01,104 ACCOUNTS

TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS  
IN COMMERCIAL BANKS  
( SEPTEMBER 1969 )




Rs. 46,70,08.30 LAKHS

☐ Increase in fully protected accounts and Deposits in these accounts consequent on the increase in the limit of insurance cover from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 with effect from 1.4.1970.

CHART IV

DEPOSITS AS PERCENTAGE OF ESTIMATED NATIONAL INCOME - 1968  
IN SELECTED COUNTRIES ( NATIONAL INCOME = 100 )



19. The Corporation's liability for the payment of the insured deposits was attracted during the year in the cases of the Chawla Bank Ltd. and the Bank of Behar Ltd., which were amalgamated under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 with the New Bank of India Ltd. and the State Bank of India respectively. In the case of the Chawla Bank Ltd., the Corporation had to pay or provide for claims to the extent of Rs. 0.18 lakh being the difference between the insured amount and the initial credit of 91% afforded by the transferee bank out of the readily realisable assets taken over by it.

As regards the Bank of Behar Ltd., in consultation with the Corporation, the Reserve Bank of India and the Central Government, the State Bank of India made arrangements to pay the depositors in full on the understanding that the Corporation will reimburse to the State Bank of India, with the amount of the difference between the *pro rata* payment at 91.38% of the balance due out of readily realisable assets under the scheme and the actual insured deposits up to and including Rs. 5,000. The list of depositors required to be submitted to the Corporation by the transferee bank under section 18(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, has since been received and is being scrutinised. It is estimated that the Corporation may be required to pay claims to the extent of about Rs. 60 lakhs, but pending the determination of the exact amount, no payment has been made to the State Bank of India.

As a result of the claims met in respect of the Chawla Bank Ltd., the total claims paid or provided for by the Corporation from its inception up to the end of the year increased from Rs. 56.85 lakhs to Rs. 57.03 lakhs. As no repayments were received during the year, the total reimbursements of claims received by the Corporation from the banks remained unchanged at Rs. 35.72 lakhs. The position as at the close of 1969 regarding the claims paid or provided for and the total reimbursements received in the case of 12 banks excluding the Bank of Behar Ltd. is shown in Appendix IV. It will be seen that the net amount which was due to be recovered by the Corporation on account of payments made in respect of these banks amounted to Rs. 21.31 lakhs.

20. In pursuance of the decision referred to in the last year's report to pay to the Custodian of Enemy Property the amount received by the Corporation from the Official Liquidator of the Bank of China in respect of claims payable but not paid to Chinese depositors, a sum of Rs. 2.12 lakhs was remitted by the Corporation to the Custodian. Regarding the liability of the Corporation for payment of insured deposits of enemy subjects in the National Bank of Pakistan and the Habib Bank Ltd., payment of which has been prohibited by Government, the matter was still under the consideration of the Government of India.

21. The estimated insurance loss in respect of claims paid or provided for was reviewed at the end of the year and the existing provision of Rs. 13.50 lakhs was raised to Rs. 15.00 lakhs. The question of raising this amount further, in order to provide for the anticipated losses, if any, on account of the Bank of Behar and any other banks, in relation to which the Corporation's liability may be attracted in future will be considered later, at an appropriate stage, when the necessary details have become available.

22. As reported last year, the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 received the assent of the President on the 27th December 1968. Its provisions have not been brought into force, pending enactment of the necessary legislation by the various States so as to make the co-operative banks in the respective States eligible for insurance. Maharashtra has, however, recently amended its Co-operative Societies Act on the lines suggested by the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India is actively pursuing the matter with other State Governments in order to enable the Deposit Insurance Corporation to extend the benefit of the scheme to a reasonably large number of eligible co-operative banks as soon as this may be practicable.

23. As on the 31st December 1969, there were 1,324 co-operative banks of which 930 were primary co-operative banks with paid-up capital and reserves of Rs. 1 lakh and over, 366 Central Co-operative Banks and 28 State Co-operative Banks. Primary co-operative banks include 283 salary earners' societies. Several of the salary earners' societies which were earlier classified as primary co-operative banks have been re-classified as non-banking societies and have been excluded from the purview of the Banking Regulation Act, on their agreeing not to receive deposits from non-members. Under the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative banks) all co-operative banks are required to obtain a licence from the Reserve Bank of India to carry on banking business but those in existence on the date on which the Act came into force, viz. the 1st March 1966, are permitted to carry on banking business until they are granted a licence or are informed that a licence cannot be granted to them. Before granting a licence, the Reserve Bank of India carries out inspections of these banks. Till the end of December 1969 licences were issued to only 21 co-operative banks.

24. A Working Group under the Chairmanship of Shri S. S. Shiralkar, Additional Secretary, Department of Banking, Government of India was constituted by the Government of India to evolve a comprehensive scheme of insurance to cover the credit risks incurred by lending banks in granting loans to relatively neglected sectors such as retail trade, small business, small farming, self-employed persons, etc. The Working Group submitted its Report on the 15th November 1969 which, *inter alia*, contains a recommendation that the Deposit Insurance Corporation should be entrusted with the implementation of the credit insurance scheme. The report was under the consideration of Government at the end of the year.

25. The term of office of Shri V. H. Vora as a director of the Corporation under clause (d) of sub-section (1) of section 6 of the Act expired on the 31st December 1969. On the recommendation of the Reserve Bank of India, the Central Government re-nominated him as a director for a period of two years from the 1st January 1970. Subsequently, the Board of Directors re-nominated Shri Vora as a member of the Executive Committee.

26. The Board of Directors met five times and the Executive Committee four times during the year.

27. With the previous approval of the Reserve Bank of India, the Board of Directors appointed M/s. K. S. Aiyar & Co. as auditors of the Corporation for the year 1969.

28. The administrative arrangement with the Reserve Bank of India for making available to the Corporation office accommodation and other incidental facilities continued during the year.

On behalf of the Corporation,

L. K. JHA

*Chairman.*

Bombay, Dated the 18th March 1970.

## APPENDIX I

### List of Registered Insured Banks as on the 31st December 1969

- \*1. Allahabad Bank, Calcutta
2. American Express International Banking Corporation, Bombay
3. Andhra Bank Ltd., Masulipatnam
4. Bank of America National Trust and Savings Association, Bombay
- \*5. Bank of Baroda, Baroda
6. Bank of Cochin Ltd., Ernakulam
- \*7. Bank of India, Bombay
8. Bank of Karad Ltd., Karad
9. Bank of Madura Ltd., Madurai
- \*10. Bank of Maharashtra, Poona
11. Bank of Rajasthan Ltd., Jaipur
12. Bank of Tokyo Ltd., Calcutta
13. Banque Nationale De Paris, Bombay.
14. Bareilly Corporation (Bank) Ltd., Bareilly
15. Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur
16. Belgaum Bank Ltd., Belgaum
17. Benares State Bank Ltd., Varanasi
18. British Bank of the Middle East, Bombay
- \*19. Canara Bank, Mangalore
20. Canara Banking Corporation Ltd., Udipi
21. Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur
- \*22. Central Bank of India, Bombay
23. Chartered Bank, Calcutta
- \*24. Dena Bank, Bombay
25. Dhanalakshmi Bank Ltd., Trichur
26. Eastern Bank Ltd., Calcutta
27. Federal Bank Ltd., Alwaye
28. First National City Bank, Bombay
29. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd., Kurundwad
30. Gauhati Bank Ltd. Gauhati
31. General Bank of the Netherlands, Calcutta
32. Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur
33. Hindusthan Mercantile Bank Ltd., Calcutta
34. Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Calcutta
- \*35. Indian Bank, Madras
- \*36. Indian Overseas Bank, Madras
37. Jammu & Kashmir Bank Ltd., Srinagar
38. Jharia Industrial Bank Private Ltd., Jharia
39. Karnataka Bank Ltd., Mangalore
40. Karur Vysya Bank Ltd., Karur
41. Kashi Nath Seth Bank Private Ltd., Shahajahanpur
42. Krishnaram Baldeo Bank Ltd., Gwalior
43. Kumbakonam City Union Bank Ltd., Kumbakonam
44. Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi
45. Lakshmi Vilas Bank Ltd., Karur
46. Lord Krishna Bank Ltd., Cranganore
47. Mercantile Bank Ltd., Bombay
48. Miraj State Bank Ltd., Miraj
49. Mitsui Bank Ltd., Bombay
50. Naini Tal Bank Ltd., Naini Tal
51. Narang Bank of India Ltd., New Delhi
52. National and Grindlays Bank Ltd., Calcutta

53. National Bank of Lahore Ltd., Delhi
54. Nedungadi Bank Ltd., Kozhikode
55. New Bank of India Ltd., New Delhi
56. Oriental Bank of Commerce Ltd., Delhi
57. Parur Central Bank Ltd., North Parur
58. Punjab Co-operative Bank Ltd., Jullunder City
59. Punjab & Kashmir Bank Ltd., Delhi
- \*60. Punjab National Bank, New Delhi
61. Punjab & Sind Bank Ltd., New Delhi
62. Ratnakar Bank Ltd., Kolhapur
63. Sahukara Bank Ltd., Ludhiana
64. Sangli Bank Ltd., Sangli
65. South India Bank Ltd., Tirunelveli
66. South Indian Bank Ltd., Trichur
67. State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur City
68. State Bank of Hyderabad, Hyderabad
69. State Bank of India, Bombay
70. State Bank of Indore, Indore
71. State Bank of Mysore, Bangalore
72. State Bank of Patiala, Patiala
73. State Bank of Saurashtra, Bhavnagar
74. State Bank of Travancore, Trivandrum
- \*75. Syndicate Bank, Manipal
76. Tamil Nad Mercantile Bank Ltd., Tuticorin
77. Tanjore Permanent Bank Ltd., Tanjore
78. Traders' Bank Ltd., New Delhi
- \*79. Union Bank of India, Bombay
- \*80. United Bank of India, Calcutta
- \*81. United Commercial Bank, Calcutta
82. United Industrial Bank Ltd., Calcutta
83. United Western Bank Ltd., Satara City
84. Vijaya Bank Ltd., Mangalore
85. Vysya Bank Ltd., Bangalore

\* Corresponding New Banks.



**APPENDIX II**

**ANALYSIS OF COVERAGE OF INSURANCE ACCORDING TO THE SIZE OF THE BANKS**

(As on the last Fridays of December 1961 and September each of 1962 to 1969)

(Amounts in lakhs of rupees)

	No. of banks	No. of fully protected accounts (i.e. those with balances not exceeding Rs. 1500 till 1967 and Rs. 5000 thereafter)	Total number of accounts	% of (2) to (3)	Insured deposits (i.e. amounts upto Rs. 1500 in all accounts till 1967 and Rs. 5000 thereafter)	Total deposits assessable to premium	% of (5) to (6)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
<b>BANKS WITH DEPOSITS:</b>									
<b>(i) exceeding Rs. 100 crores</b>									
1961	..	..	5	19,07,565	26,08,513	73.1	17244.19	86024.65	20.4
1962	..	..	5	20,56,863	28,61,493	71.9	19855.88	96614.94	20.5
1963	..	..	5	23,03,769	32,01,003	72.0	22279.55	108010.07	20.6
1964	..	..	6	30,74,624	42,29,309	72.7	29088.07	138462.50	21.0
1965	..	..	7	39,65,311	54,77,182	72.4	37999.30	166473.38	22.8
1966	..	..	8	50,96,334	70,56,148	72.2	49678.17	207848.96	23.9
1967	..	..	9	66,42,248	90,41,212	73.5	61039.83	243480.54	25.1
1968	..	..	11	1,00,17,283	1,11,98,695	89.5	145059.51	293553.75	49.4
1969	..	..	13	1,34,26,587	1,49,27,864	89.9	183358.19	361872.86	50.7
<b>(ii) exceeding Rs. 50 crores but up to Rs. 100 crores</b>									
1961	..	..	5	7,70,242	10,14,608	75.8	6197.07	31166.68	19.8
1962	..	..	5	8,25,565	10,96,603	75.3	6813.43	33754.29	20.2
1963	..	..	4	9,09,942	12,13,716	75.0	7614.56	31888.94	23.9
1964	..	..	5	13,85,569	17,80,744	77.8	10333.84	38319.58	27.0
1965	..	..	6	21,19,236	26,29,196	80.6	13441.78	43504.23	30.9
1966	..	..	8	27,12,915	33,44,641	81.1	16821.24	56402.65	29.8
1967	..	..	7	24,04,677	29,85,961	80.5	15648.78	51198.50	30.6
1968	..	..	5	26,15,724	27,62,162	94.7	21731.23	37076.06	58.6
1969	..	..	6	20,21,341	21,65,761	93.3	20226.22	39500.58	51.2
<b>(iii) exceeding Rs. 25 crores but up to Rs. 50 crores</b>									
1961	..	..	5	6,71,802	8,31,405	80.8	4305.59	15026.17	28.7
1962	..	..	5	7,54,562	9,47,116	79.6	5068.76	17148.89	29.5
1963	..	..	6	13,05,115	15,84,932	82.3	7635.97	27658.34	27.6
1964	..	..	8	14,06,449	16,86,914	83.4	7775.89	31144.64	25.0
1965	..	..	9	12,98,142	16,14,713	80.4	8512.36	33181.42	25.7
1966	..	..	8	10,76,654	13,49,163	79.8	6953.68	28241.16	24.6
1967	..	..	10	12,87,232	16,26,261	79.2	8549.17	36531.65	23.4
1968	..	..	10	14,50,790	15,87,460	91.4	16830.64	38908.14	43.3
1969	..	..	7	11,14,532	12,15,328	91.7	13083.03	29089.03	45.0
<b>(iv) exceeding Rs. 10 crores but up to Rs. 25 crores</b>									
1961	..	..	11	9,51,626	11,30,263	84.2	4952.99	17871.79	27.7
1962	..	..	11	10,26,510	12,33,390	83.2	5828.39	21796.82	26.7
1963	..	..	12	9,89,313	12,25,841	80.7	6286.75	24696.62	25.5
1964	..	..	9	6,85,824	8,46,847	81.0	4156.66	17710.56	23.5
1965	..	..	7	3,81,855	4,90,263	77.9	2719.16	12343.60	22.0
1966	..	..	6	3,23,116	4,10,032	78.8	2188.51	10178.57	21.5
1967	..	..	8	5,66,097	6,94,121	81.6	3395.39	10513.08	32.3
1968	..	..	10	7,74,261	8,31,448	93.1	8067.82	13730.52	58.8
1969	..	..	13	10,67,445	11,44,792	93.2	10929.91	19644.14	55.6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(v) exceeding Rs. 1 crore but up to Rs. 10 crores									
1961	..	..	45	8,80,365	10,55,542	83.4	4775.77	15521.78	30.8
1962	..	..	44	9,45,560	11,40,084	82.9	5410.09	16298.88	33.1
1963	..	..	42	8,07,526	9,72,810	83.0	4616.52	15063.93	30.6
1964	..	..	38	8,22,542	9,99,196	82.3	4830.59	15234.29	31.7
1965	..	..	45	10,04,606	12,13,486	82.8	5747.14	17408.50	33.0
1966	..	..	45	10,73,854	13,06,528	82.2	6342.99	19887.97	31.9
1967	..	..	40	9,05,355	11,06,705	81.8	5361.91	17871.08	30.0
1968	..	..	39	10,48,011	11,19,936	93.6	10285.43	17488.71	58.8
1969	..	..	35	9,29,054	9,95,473	93.3	9466.18	16428.58	57.6
(vi) Rs. 1 crore or less									
1961	..	..	214	3,60,052	4,18,117	86.1	1756.20	3763.70	46.7
1962	..	..	203	3,68,360	4,24,862	86.7	1823.61	3913.47	46.5
1963	..	..	191	3,36,401	3,88,630	86.6	1582.94	3360.00	47.1
1964	..	..	138	2,51,218	2,94,166	85.4	1251.60	2857.08	43.8
1965	..	..	43	1,28,655	1,51,076	85.2	642.37	1483.31	43.3
1966	..	..	28	81,280	97,106	83.7	444.72	1071.98	41.5
1967	..	..	19	60,923	71,581	85.1	296.02	754.62	39.2
1968	..	..	13	46,204	47,849	96.6	304.03	430.51	70.6
1969	..	..	12	50,092	51,886	96.5	341.53	473.11	72.2
TOTALS :									
1961	..	..	285	55,41,652	70,58,448	78.5	39231.81	169374.77	23.1
1962	..	..	273	59,77,420	77,03,548	77.6	44800.16	189527.29	23.6
1963	..	..	260	66,52,066	85,86,932	77.5	50016.29	210677.90	23.7
1964	..	..	204	76,26,226	98,37,176	77.5	57436.65	243728.65	23.6
1965	..	..	117	88,97,805	1,15,75,916	76.9	69062.11	274394.44	25.2
1966	..	..	103	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	82429.31	323631.29	25.5
1967	..	..	93	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	94291.10	360349.47	26.2
1968	..	..	88	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	202278.66	401187.69	50.4
1969	..	..	86	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	237405.06	467008.30	50.8



APPENDIX III

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Statement of investments in Central Government Securities as on the 31st December 1969

Particulars	Face value Rs.	Book value Rs.	Rate Rs. %	Market value Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>DEPOSIT INSURANCE FUND:</b>				
4½ % 1971 .. ..	2,60,10,000.00	2,58,63,482.82	100.80	2,62,18,080.00
5 % 1982 .. ..	1,30,55,000.00	1,31,58,440.00	102.10	1,33,29,155.00
5½ % 1990 .. ..	1,70,000.00	1,70,510.00	103.50	1,75,950.00
5½ % 1999 .. ..	10,04,42,600.00	10,07,09,384.00	100.35	10,07,94,149.10
	<u>13,96,77,600.00</u>	<u>13,99,01,816.82</u>		<u>14,05,17,334.10</u>
Less: provision for depreciation ..		5,50,000.00		
		<u>13,93,51,816.82</u>		
<b>GENERAL FUND :</b>				
3 % 1970-75 .. ..	75,000.00	65,787.50	99.25	74,437.50
3¾ % 1974 .. ..	25,00,000.00	24,88,750.00	98.15	24,53,750.00
4 % 1972 .. ..	1,05,000.00	1,02,962.50	99.80	1,04,790.00
4 % 1981 .. ..	25,00,000.00	24,62,500.00	96.25	24,06,250.00
4¼ % 1972 .. ..	1,00,000.00	1,00,000.00	100.50	1,00,500.00
4¼ % 1973 .. ..	30,000.00	30,000.00	100.80	30,240.00
4½ % 1971 .. ..	10,75,000.00	10,69,625.00	100.80	10,83,600.00
4½ % 1985 .. ..	1,00,000.00	1,00,075.00	99.00	99,000.00
4½ % 1986 .. ..	1,00,000.00	1,00,000.00	98.75	98,750.00
4¾ % 1972 .. ..	1,00,000.00	1,00,000.00	102.15	1,02,150.00
4¾ % 1989 .. ..	2,20,000.00	2,19,125.00	98.90	2,17,580.00
5 % 1982 .. ..	15,00,000.00	15,00,000.00	102.10	15,31,500.00
5½ % 1991 .. ..	1,10,000.00	1,09,012.50	102.40	1,12,640.00
5½ % 1999 .. ..	30,16,400.00	30,23,986.00	100.35	30,26,957.40
	<u>1,15,31,400.00</u>	<u>1,14,71,823.50</u>		<u>1,14,42,144.90</u>

**APPENDIX IV**  
**CLAIMS PAID OR PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENT**  
**RECEIVED**  
**(AS ON 31-12-1969)**

(In lakhs of rupees)

Name of bank	Date of first remittance in full satisfaction of claims as per the list of depositors	Insured deposits already paid	Insured deposits remaining unclaimed and provided for	Total insured deposits paid or provided for
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1962	—	—	—	—
1963				
(i) Bank of China .. .. .	27- 4-1963	6.43	2.82*	9.25
(ii) Unity Bank Ltd., Madras .. .. .	13- 9-1963	2.52	0.02	2.54
(iii) Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri ..	24-12-1963	0.28	— (Rs. 43)	0.28
		9.23	2.84	12.07
1964				
(iv) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta ..	6-5-1964	8.74	0.06	8.80
(v) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur ..	3-6-1964	7.04	0.06	7.10
(vi) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam ..	19-11-1964	2.08	— (Rs. 201)	2.08
(vii) Unao Commercial Bank Ltd., Unnao ..	26-11-1964	1.06	0.02	1.08
(viii) Southern Bank Ltd., Calcutta .. ..	12-12-1964	7.28	0.06	7.34
		26.20	0.20	26.40
1965				
(ix) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur .. .. .	1-2-1965	0.12	—	0.12
1966				
(x) National Bank of Pakistan, Calcutta ..	20-9-1966	0.99	—	0.99
(xi) Habib Bank Ltd., Bombay .. .. .	5-10-1966	15.73	1.54*	17.27
		16.72	1.54	18.26
1967	—	—	—	—
1968	—	—	—	—
1969				
(xii) Chawla Bank Ltd., Dehra Dun .. .. .	13-10-1969	0.18	— (Rs. 2.65)	0.18
	<b>TOTAL</b>	52.45	4.58	57.03
	<b>Less : Reimbursements received up to the end of the year</b>	31.37	4.35	35.72
		21.08	0.23	21.31

\* The figures of Rs. 2.82 lakhs and Rs. 1.54 lakhs are inclusive of Rs. 0.30 lakh and Rs. 0.01 lakh respectively representing claims of traceable depositors pending disbursement.

Note: The figures of claims given above are after effecting adjustments in respect of (i) cases where it was subsequently found that more than one deposit account were held by a depositor in the same capacity and right, (ii) cases where more than one deposit account treated as having been held by a depositor in the same capacity and right were subsequently found to have been not so held, (iii) reconstruction of balances in some deposit accounts and (iv) payments to certain depositors who were originally treated as untraceable but later lodged their claims.

## REPORT OF THE AUDITORS

We have audited the attached Balance Sheet of the Deposit Insurance Corporation as at 31st December, 1969, showing the position of the Deposit Insurance Fund and the General Fund respectively as on that date and also the Revenue Accounts annexed to the said Balance Sheets showing the income and expenditure of the abovementioned two Funds for the year ended on that date, and report on the said Balance Sheets and Accounts as follows :—

- (1) We have obtained all the information and explanations we have required for the purposes of our audit and the same have been satisfactory.
- (2) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet and is properly drawn up containing all the necessary particulars so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs of the Corporation as at 31st December 1969 and is also properly drawn up in accordance with the requirements of Regulation 18 of the Deposit Insurance Corporation General Regulations, 1961.

BOMBAY,  
20th March 1970.

K. S. AIYAR & CO.,  
*Chartered Accountants*

**DEPOSIT INSURANCE**  
(Established under the Deposit  
Regulation  
Balance Sheet as at the close of business  
**I—DEPOSIT**

<i>As at the 31st December 1968</i> Rs.      p.	LIABILITIES	Rs.      p.	Rs.      p.
8,59,36,747.24	1. FUND : Balance at the beginning of the year .. ..	11,13,49,413.70	
2,54,12,666.46	<i>Add:</i> Net accretion to the Fund during the year transferred from the Revenue Account .. ..	3,00,97,843.47	
11,13,49,413.70	Balance at the end of the year .. ..		14,14,47,257.17
—	2. Advance from the Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance Corporation Act) .. ..		—
—	3. Advance from the General Fund (Section 27 of the Deposit Insurance Corporation Act) .. ..		—
6,69,477.46	4. Insured deposits remaining unclaimed (per contra) (As per Annexure II) .. ..		4,57,297.21
—	5. Insured deposits in banks whose registration as insured banks has been cancelled (per contra) .. ..		—
46,156.74	6. Other Liabilities : Excess premium refundable to banks .. ..		1,02,885.54
<u>11,20,65,047.90</u>			<u>14,20,07,439.92</u>

**Note:** Claims in respect of insured deposits of the Bank of Behar Ltd. now amalgamated with the State Bank of India under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, are estimated at approximately Rs. 60 lakhs.

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

*Chartered Accountants*

Bombay, 20th March 1970

**CORPORATION**

Insurance Corporation Act, 1961)

18—Form A

on the 31st December 1969

**INSURANCE FUND**

<i>As at the 31st December 1968</i>	ASSETS	Rs.	p.	Rs.	p.
10,413.80	1. Balance with the Reserve Bank of India .. ..				10,133.99
10,92,52,342.82	2. Investments in Central Government Securities (at cost less provision of Rs. 5,50,000 for depreciation)				13,93,51,816.82
(Rs.10,96,92,000.00)	(Face value Rs. 13,96,77,600.00)				
(Rs.11,06,12,770.00)	(Market value Rs. 14,05,17,334.10)				
18,31,929.60	3. Interest accrued on investments .. ..				18,26,959.51
20,90,935.78	4. Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits already paid .. ..	21,09,187.77			
13,35,704.00	Less: Provision for estimated insurance losses (As per Annexure I) .. ..	14,86,608.00			
7,55,231.78					6,22,579.77
6,69,477.46	5. (a) Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits remaining unclaimed (per contra) Rs. 4,57,297.21				
6,47,254.99	Less: Reimbursements received to date Rs. 4,35,072.09			22,225.12	
22,222.47					
—	(b) Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits in banks whose registration as insured banks has been cancelled (per contra) .. ..			—	
22,222.47				22,225.12	
14,296.00	Less: Provision for estimated insurance losses ..	13,392.00			8,833.12
7,926.47					
1,97,850.55	6. Other Assets : Outstanding premium due from banks .. ..	1,77,763.83			
9,352.88	Amount paid towards claims under section 17(2) of the Act remaining undisbursed .. ..	9,352.88			1,87,116.71
2,07,203.43					
<u>11,20,65,047.90</u>					<u>14,20,07,439.92</u>

M. J. AMBANI

Manager

R. K. SESHADRI

Executive Director

L. K. JHA

B. N. ADARKAR }  
P. K. GHOSH }

Chairman

Directors

Bombay, 18th March 1970

**DEPOSIT INSURANCE**

(Established under the Deposit  
Regulation  
Balance Sheet as at the close of  
II—GENERAL

<i>As at the 31st December 1968</i>	LIABILITIES		
Rs.    p.		Rs.    p.	Rs.    p.
1,00,00,000.00	1. CAPITAL :		1,00,00,000.00
	Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance Corporation Act		
	2. RESERVES :		
8,14,090.55	General Reserve .. .. .	10,52,593.44	
6,10,000.00	Investment Reserve .. .. .	6,10,000.00	
—	Other Reserves .. .. .	—	
14,24,090.55			16,62,593.44
	3. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :		
—	Staff Provident Fund .. .. .	—	
—	Staff Gratuity Fund .. .. .	—	
	Other Liabilities :		
26,969.97	Outstanding expenses .. .. .	35,836.16	
26,969.97			35,836.16
<u>1,14,51,060.52</u>			<u>1,16,98,429.60</u>

As per our report of even date attached

**K. S. AIYAR & CO.**

*Chartered Accountants*

Bombay, 20th March 1970

**CORPORATION**

Insurance Corporation Act, 1961)

18—Form A

business on the 31st December 1969

**FUND**

<i>As at the 31st December 1968</i>	ASSETS	Rs.	p.	Rs.	p.
81.93	1. CASH :				
3,477.37	(i) In hand .. .. .	92.20			
3,559.30	(ii) With Reserve Bank of India .. .. .	24,402.19		24,494.39	
1,12,48,142.50	2. INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (at cost) .. .. .			1,14,71,823.50	
1,13,15,000.00	(Face value .. Rs. 1,15,31,400.00)				
1,12,09,130.00	(Market value .. Rs. 1,14,42,144.90)				
1,82,416.30	3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS ..			1,85,416.93	
—	4. ADVANCE TO THE DEPOSIT INSURANCE FUND, IF ANY (vide Section 27 of the Deposit Insurance Corporation Act)			—	
10,685.91	5. OTHER ASSETS :				
	Furniture, Fixtures & Equipment, less depreciation	10,282.21			
1,428.51	Stock of stationery .. .. .	1,682.13			
162.20	Library books, less depreciation .. .. .	208.00			
4,153.00	Deposits under 'Own Your Telephone Scheme' ..	3,903.00			
512.80	Prepaid expenses .. .. .	619.44			
16,942.42				16,694.78	
<u>1,14,51,060.52</u>				<u>1,16,98,429.60</u>	

M. J. AMBANI

Manager

R. K. SESHADRI

Executive Director

L. K. JHA

B. N. ADARKAR }  
P. K. GHOSH }

Chairman

Directors

Bombay, 18th March 1970

DEPOSIT INSURANCE

(Form

I. Revenue Account (Deposit Insurance Fund)

<i>Previous year</i>	EXPENDITURE	Rs. p.	Rs. p.
<i>Rs. p.</i>		Rs. p.	Rs. p.
—	To Insurance Losses :		
13,50,000.00	(a) Claims written off during the year .. .. .	—	
13,50,000.00	(b) Provision for estimated losses as at the end of the year .. .. .	15,00,000.00	
12,00,000.00	(c) <i>Less</i> : Provision for estimated losses as at the beginning of the year .. .. .	15,00,000.00	
1,50,000.00			1,50,000.00
—	„ Interest on advance from Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance Corporation Act) .. .. .		—
—	„ Interest on advance from General Fund (Section 27 of the Deposit Insurance Corporation Act) .. .. .		—
2,54,12,666.46	„ Net accretion transferred to the Fund .. .. .		3,00,97,843.47
<u>2,55,62,666.46</u>			<u>3,02,47,843.47</u>

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

Bombay, 20th March 1970





## DEPOSIT INSURANCE

(Form

## II—Revenue Account (General Fund)

Previous year		EXPENDITURE	Rs. p.	
Rs.	p.		Rs.	p.
2,50,015.41		To Salaries and allowances and contribution to Provident Fund	2,35,890.24	
11,439.06		„ Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund .. ..	10,625.28	
1,250.00		„ Directors' and Committee Members' fees .. ..	1,350.00	
8,329.70		„ Directors' and Committee Members' travelling and other allowances .. ..	8,124.00	
38,268.64		„ Rent, taxes, insurance, lighting, etc. .. ..	37,933.84	
—		„ Establishment—Travelling and halting allowances .. ..	1,119.85	
5,787.28		„ Printing and Stationery .. ..	5,221.48	
2,702.09		„ Postage, telegrams and telephones .. ..	2,473.20	
2,000.00		„ Auditors' fees .. ..	2,500.00	
2,025.68		„ Legal charges .. ..	252.00	
17,403.20		„ Miscellaneous expenses .. ..	5,986.02	
2,138.34		„ Depreciation .. ..	1,887.76	
1,57,683.92		„ Balance, being excess of income over expenditure carried down	2,38,502.89	
4,99,043.32			5,51,866.56	
1,57,683.92		To Transfer to General Reserve .. ..	2,38,502.89	
—		„ Transfer to Other Reserves .. ..	—	
—		„ Transfer to Investment Reserve .. ..	—	
1,57,683.92			2,38,502.89	

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR &amp; CO.

Chartered Accountants

Bombay, 20th March 1970

**CORPORATION**

B)

for the year ended the 31st December 1969

<i>Previous year</i>	INCOME	Rs. p.
<i>Rs. p.</i>		Rs. p.
4,99,019.05	By Income from Investments .. .. .	5,51,843.22
—	„ Interest on Advance to Deposit Insurance Fund .. ..	—
24.27	„ Miscellaneous receipts . . . . .	23.34
<u>4,99,043.32</u>		<u>5,51,866.56</u>
1,57,683.92	By Balance, being excess of income over expenditure brought down	2,38,502.89
<u>1,57,683.92</u>		<u>2,38,502.89</u>

M. J. AMBANI  
Manager

R. K. SESHADRI  
Executive Director

L. K. JHA  
B. N. ADARKAR }  
P. K. GHOSH }

Chairman  
Directors

Bombay, 18th March 1970

ANNEXURE I

SUBROGATED CLAIMS OF DEPOSITORS

	Rs.	p.	Rs.	p.
Total amount paid until the end of the previous year (After adding Rs. 2,12,182.90 transferred from untraceable accounts to traceable accounts and after deducting Rs. 15.32 refunded to the Corporation during the year) .. .. .			52,27,689.27	
<i>Less</i> : (i) Reimbursements received until the end of the previous year (After adding Rs. 2,12,182.90 transferred from untraceable accounts to traceable accounts and deducting Rs. 6.13 adjusted against the refund of Rs. 15.32 above) .. .. .	31,36,762.68			
(ii) Claims written off until the end of the previous year .. .. .	NIL			
(iii) Provision for estimated losses until the end of the previous year ..	13,35,704.00		44,72,466.68	
Net amount paid as at the beginning of the year <i>less</i> provision for estimated losses ..			7,55,222.59	
<i>Add</i> : Insured deposits paid during the year .. .. .			18,261.18	
			7,73,483.77	
<i>Less</i> : (i) Reimbursements received during the year .. .. .	NIL			
(ii) Claims written off during the year .. .. .	NIL			
(iii) Provision for estimated losses made during the year (Includes Rs. 904/- transferred from provision for estimated loss in respect of unclaimed deposits) .. .. .	1,50,904.00		1,50,904.00	
Net amount paid as at the end of the year <i>less</i> provision for estimated losses .. ..			6,22,579.77	

ANNEXURE II

INSURED DEPOSITS REMAINING UNCLAIMED AS ON THE 31ST DECEMBER 1969

	Rs.	p.
Amount outstanding at the beginning of the year .. .. .		6,69,477.46
<i>Add</i> : Amount of insured deposits tendered during the year but remaining unclaimed		2.65
		6,69,480.11
<i>Less</i> : Amount claimed and paid during the year (being claims of Chinese depositors paid to the Custodian of Enemy Property) .. .. .		2,12,182.90
Total insured deposits remaining unclaimed at the end of the year .. .. .		4,57,297.21

